# इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

## (इरकॉन वीकेईएल)

## (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

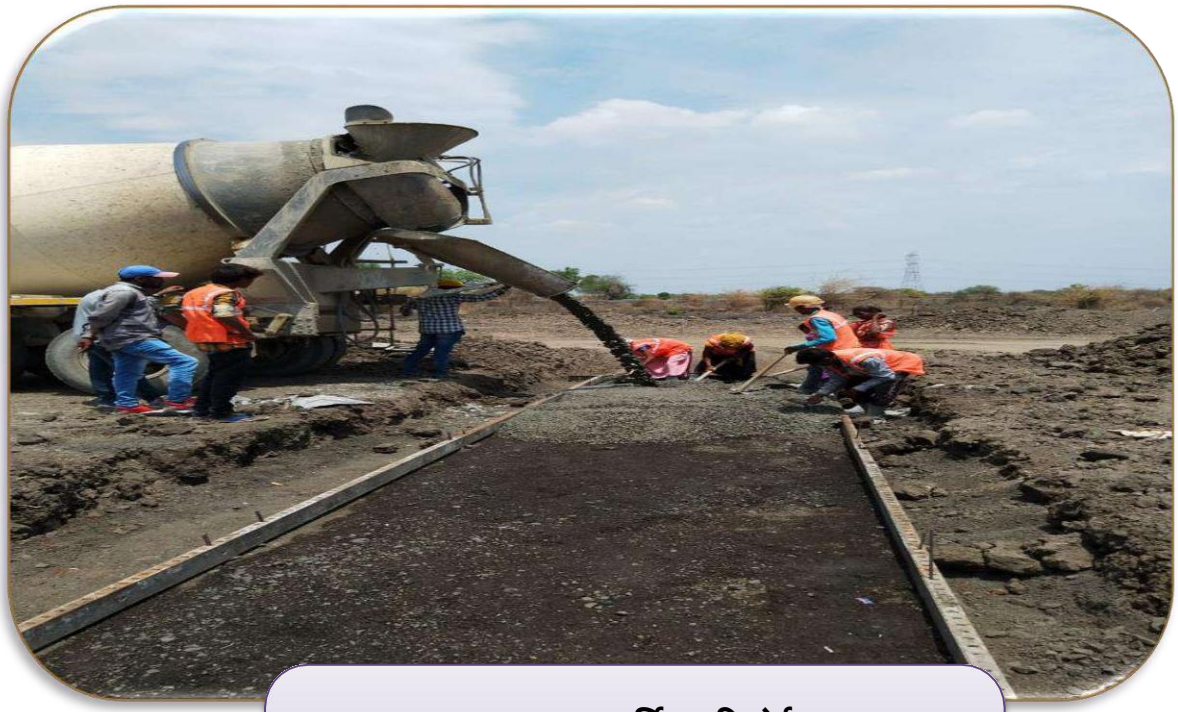

**प्रथम वार्षिक रिपोर्ट**

**(वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु)**

# कंपनी परियोजना

"हाइब्राइड वार्षिकी आधार (चरण-।क-पैकेज-।।) पर एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत गुजराज राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पेड्रा खंड) आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे"

## निदेशक मंडल

श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक

## प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री बृज भूषण सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकार
सुश्री रिचा महाजन, कंपनी सचिव

## बोर्ड समितियां

कोई बोर्ड समिति गठित नहीं है

## सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसस एन.सी.राज एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

## कंपनी के सीपीसी संविदाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

## कंपनी के बैंकर

इंडियान ओवरसीस बैंज, आर.के.पुरम, नई दिल्ली

## सम्पर्क अधिकारी

सुश्री रिचा महाजन
कंपनी सचिव
ईमेल : csirconvkel@gmail.com
दूरभाष: 011-26545000

## पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली- 110017

# इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन निदेशक (नामिती)]

**श्री दीपक सबलोक**

**अध्यक्ष, निदेशक (परियोजना), इरकॉन**

**श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक**

**कार्यपालक निदेशकपरियोजना/, इरकॉन**

**श्री आनन्द कुमार सिंह निदेशक**

**कार्यपालक निदेशकवित्त/,इरकॉन**

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव**

**निदेशक**

**परियोजना निदेशक/जम्मू एवं कश्मीर, इरकॉन**

**सुश्री अनुपम बेन**

**निदेशक**

**मुख्य महाप्रबधकएचआरएम/, इरकॉन**

## इरकॉन वीकेईएल के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री बृज भूषण सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
**[ 20.11.2018 से]**

श्री राज कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ
**[ 20.11.2018 से]**

सुश्री रिचा महाजन कंपनी
सचिव
**[ 04.04.2019 से]**

<u>वडोदना किम एक्सप्रेसवे परियोजना फोटोग्राफ</u>

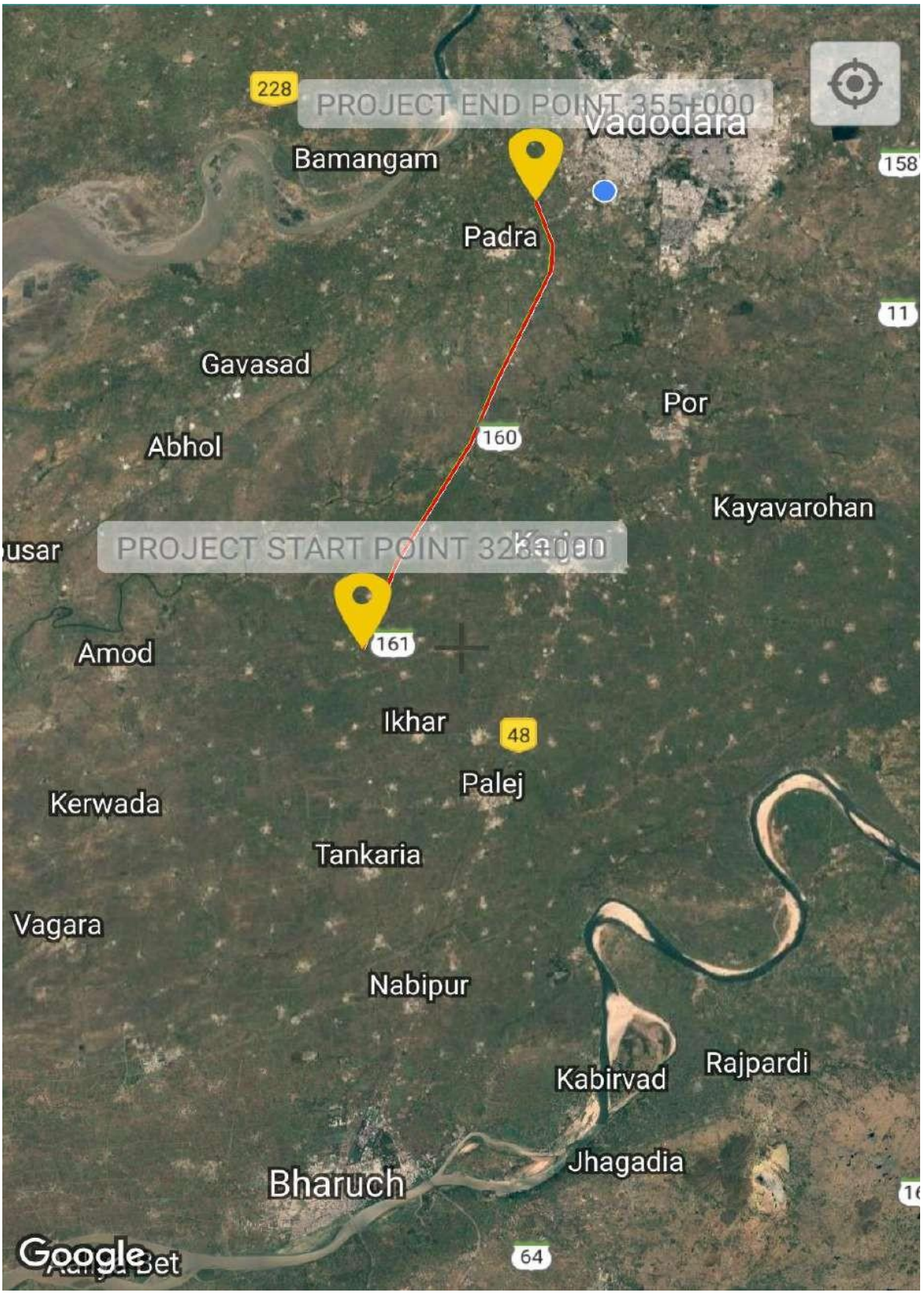

PROJECT END POINT 355+000
Vadodara
228
Bamangam
158
Padra
11
Gavasad
Por
160
Abhol
Kayavarohan
PROJECT START POINT 323+000
Karjan
usar
161
Amod
Ikhar
48
Palej
Kerwada
Tankaria
Vagara
Nabipur
Rajpardi
Kabirvad
Jhagadia
Bharuch
Google
64

इंटरसेक्शन 323+074 पर पाइल बोरिंग

सीएच. 335+800 से 336+000 पर एफडीडी जांच

350+200 से 350+300 पर ओजीएल तैयार करना

353+666 इंटरसेक्शन पर पाइल केज लोवरिंग

# अध्यक्ष का संबोधन

## दिनांक 26.08.2019 को आयोजित प्रथम वार्षिक साधारण बैठक में

**प्रिय शेयरधाराकों**

मुझे कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके समक्ष दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित आपकी कंपनी की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि आपने इस रिपोर्ट को पढ लिया है।

**कंपनी का संक्षिप्त विवरण**

इरकॉन वीकेईएल को एक विशेष प्रयोजन व्यवस्था के रूप में दिनांक 16 मई 2018 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में का निगमित किया गया है, और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गुजरात राज्य में वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना की शर्तों के अनुसार स्थापित किया गया है। इरकॉन वीकेईएल का मुख्य उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और अंतरण आधार पर हाइब्राइड वार्षिकी आधार (चरण-।क-पैकेज-।।) पर एनएचडीपी चरण-**VI** के अंतर्गत गुजराज राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पेड्रा खंड) आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय को निष्पादित करना है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 07 अक्तूबर 2018 को वित्तीय समापन प्राप्त किया गया है। एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति तिथि 31 जनवरी 2019 है। समापन अवधि नियुक्ति तिथि से 730 दिन है।

इरकॉन वीकेईएल ने **1543.06** करोड़ रूपए **(12** प्रतिशत की दर से जीएसटी सहित) के कुल मूल्य पर ईपीसी मोड पर एनएचपीडी चरण-VI के अंतर्गत गुजरात राज्य में आठ लेन वाले वडोदरा किन एक्सप्रेसवे के निर्माण की परियोजना को निष्पादित करने के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ ईपीसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

**परियोजना निर्माण**

परियोजना निर्माण कार्य नियुक्ति तिथि यथा 31 जनवरी 2019 से आरंभ हो गया है और उपलब्ध क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है।

**वित्तीय विशेषताएं**

अनुमोदित कुल परियोजना लागत की दृष्टि से, आपकी कंपनी के पास आज की तिथि तक – 10 करोड़ रूपए के प्राधिकृत शेयर पूंजी और 6 करोड़ रूपए की अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी विद्यमान है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 1,00,85,000 रूपए का व्यय किया है।

**अनुपालन और प्रकटन**

कंपनी अधिनियम, **2013** और इसके अंतर्गत संबद्ध नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटनों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

**आभारोक्ति**

में निदेशक मंडल की ओर से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी में मूल्यवान ग्राहकों यथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं जो कि हमारी मूल्यवार संपत्ति हैं।

कृते और की ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-
(दीपक सबलोक)
अध्यक्ष
डिन: **03056457**

दिनांक: **26.08.2019**
स्थान: नई दिल्ली

# इरकॉन वीकेईएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **1.** | निदेशक मंडल की रिपोर्ट | **20** |
| 2. | **सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट** | **60** |
| **3.** | कंपनी के इंड एएव वित्तीय **विवरण**<br>➢ तुलन पत्र<br>➢ लाभ हानि विवरण<br>➢ रोकड़ प्रवाह विवरण<br>➢ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण<br>➢ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार<br>➢ लेखों एवं अन्य विवरणात्मक सूचना संबंधी नोट | **73** |
| 4. | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (सीएजी टिप्पणियां)** | **127** |

# प्रथम वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा अल्पसूचना दी जाती है कि इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) के सदस्यों की प्रथम वार्षिक आम बैठक सोमवार, **26** अगस्त 2019 के सी -4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली स्थित इरकॉन वीकेईएल के पंजीकृत कार्यालय में में 03:00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्न विषयों पर कार्रवाई की जाएगी:

**साधारण कार्य: -**

**1. दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की निदेशक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने हेतु तथा आशोधन (आशोधनों), सहित या रहित निम्नलिखित साधारण संकल्प को पारित करने हेत:-**

"**संकल्प किया जाता है कि** दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी के तुलन पत्र, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का विवरण, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं संबंधित नोट और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, तथा निदेशक की रिपोर्ट व उसके संलग्नक, एवं प्रबंधन विचारविर्मश और विश्लेषण रिपोर्ट, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार, फॉर्म एओसी-2, निगमित शासन रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को परिपत्रित किए गए हैं और बैठक के समक्ष प्रस्तुत हैं, को एतदद्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जाता है।"

**2. वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण के संबंध में लिए आशोधन (आशोधनों सहित) या रहितपारित निम्नलिखित साधारण संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए उसे पारित करने हेतु:**

"**संकल्प किया जाता है कि** वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक सहित आउट ऑफ

पॉकेट व्ययों के निर्धारण के लिए इरकॉन वीकेईएल के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**
**कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड,**

**ह/-**
**(रिचा महाजन)**
**कंपनी सचिव**

**दिनांक 07 अगस्त 2019**
**स्थान: नई दिल्ली**

**नोट:**

**1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य उनके स्थान पर उपस्थित होने और मतदान देने के लिए प्रौक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और उस प्रॉक्सी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कंपनी का सदस्य हो। प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।**

2. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति पचास सदस्यों तक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है और सकल रूप में कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक की धारिता के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक धारिता वाला सदस्य किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. बैठक आरंभ होने से 24 घंटे पहले की अवधि के दौरान और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के दौरान, एक सदस्य कंपनी के व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज की गई प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते वह कंपनी को निरीक्षण के प्रयोजन को लिखित में 3 दिन का नोटिस देकर सूचित करेगा।

3. पहली बार में हाथ उठाकर मतदान होना। व्यक्ति के पास मौजूद प्रत्येक सदस्य के हाथों में केवल एक वोट होगा। केवल जब धारा 109 के तहत मतदान की मांग की जाएगी तभी प्रत्येक सदस्य को उसके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

4. पूरी बैठक में कंपनी के पांच सदस्य (शेयरधारक) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर गणपूर्ति मानी जाएगी।

5. वार्षिक रिपोर्ट के अंत में पंजीकृत कार्यालय (बैठक स्थल) तक सुगम पहुंच के लिए प्रमुख लैंडमार्क सहित मार्ग मानचित्र प्रदान किया गया है।

6. वार्षिक रिपोर्ट के अंत में उपस्थिति पर्ची फॉर्म प्रदान किया जाता है।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाता है या वार्षिक आम बैठक में निर्धारित तरीके से [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-142(1) तय किया जाता है। शेयरधारक वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षकों के उचित पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं, जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त माना जाए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अभी की जानी है।

8. प्रासंगिक नोटिस में उल्लिखित संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक के लिए उपलब्ध हैं।

9. निदेशक, मुख्य प्रबंधक कार्मिक और उनके रिश्तेदारों किसी भी तरह से सामान्य व्यवसायिक मदों से हितधारी नहीं है।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस और उपस्थिति पर्ची को विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित रूप से बैठक में लाएं।

सेवा में:

1. कंपनी के सभी शेयरधारक
2. कंपनी के सभी निदेशक
3. मैसर्स एन सी राज एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक)

## फॉर्म सं.एमजीटी 11 – प्रॉक्सी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-105 (6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसरण में)

मैं इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के ..... शेयरों का धारक सदस्य होने के नाते सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को दोपहर 03:00 बजे इरकॉनवीकेईएल के पंजीकृत कार्यालय या किसी स्थगन में आयोजित होने वाली पहली वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में हैं मेरी उपस्थिति और मतदान (मतदान के लिए) हेतु प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूं:

1. नाम :_____ईमेल आईडी :_____

   पता :_____हस्ताक्षर :_____

या उनकी अनुपस्थिति में

2. नाम :_____ईमेल आईडी :_____

   पता :_____हस्ताक्षर :_____

या उनकी अनुपस्थिति में

3. नाम :_____ईमेल आईडी :_____

   पता :_____हस्ताक्षर :_____

**संकल्प:**

1. दिनांक 31 मार्च 2019 को निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2019 को समाप्तवर्ष के लिए लाभ हानि विवरण एवं उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त और स्वीकार करने हेतु।
2. वर्ष **2019-20** के लिए कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारणकरने हेतु।
   दिनांक अगस्त 2019 को हस्ताक्षर

____________________

शेयरधारक के हस्ताक्षर

__________________________

प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

**नोट:**

**इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी होने के लिए पूर्ण होना चाहिए (अर्थात विधिवत भरा, मुद्रांकित, और हस्ताक्षरित) और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।**

**उपस्थिति पर्ची**

सदस्य का नाम :
(बड़े अक्षरों में)

सदस्य का पता :

फोलियो सं. :

धारित शेयरों की संख्या :

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी का सदस्य हूं।

मैं एतदद्वारा सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को दोपहर 03:00 बजे सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

________________________

सदस्य के हस्ताक्षर

**नोट:**

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें व हस्ताक्षर करेंत था बैठक स्थल के प्रवेश पर सौंप दें।

## इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड की प्रथम वार्षिक आम बैठक स्थल का मार्ग मानचित्र

**स्थल: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017**

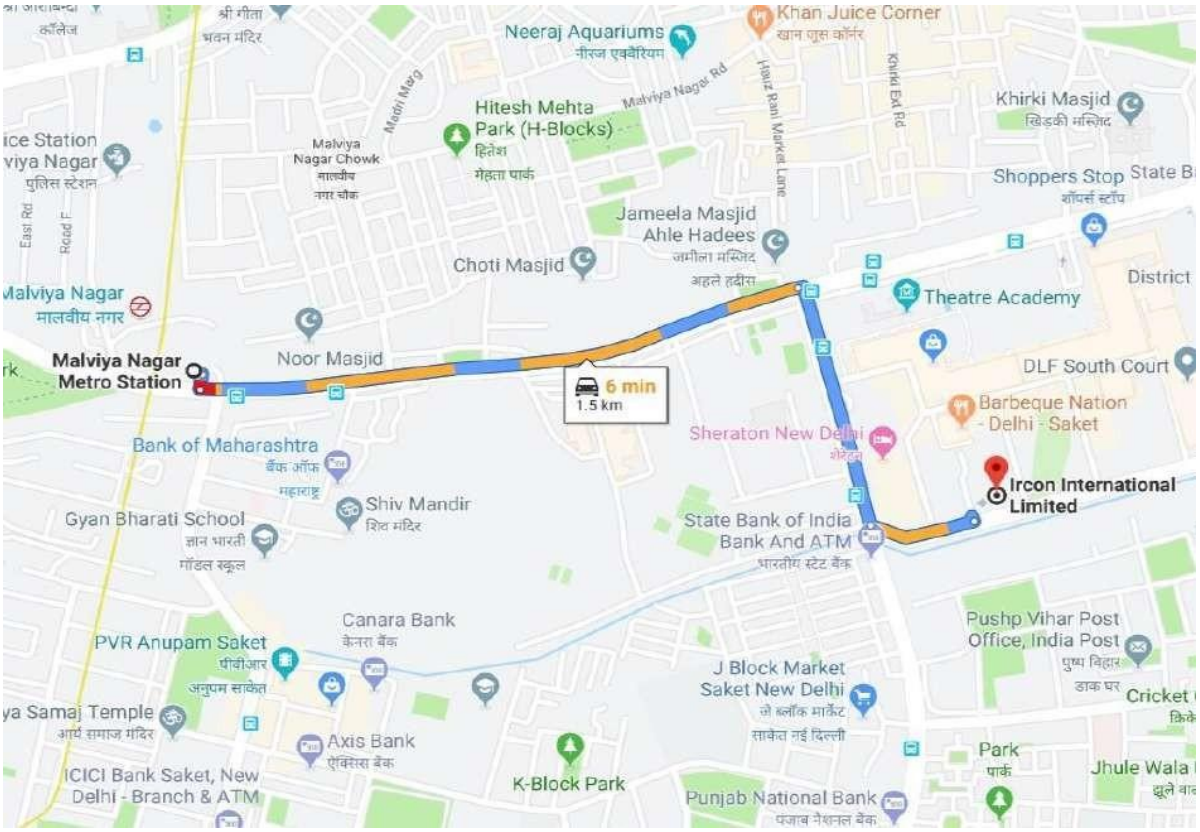

# निदेशक की रिपोर्ट
# वर्ष 2018-19

# निदेशक की रिपोर्ट

**प्रिय सदस्यों,**

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक गतिविधियों सहित प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

## व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं: कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** (इरकॉन वीकेईएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका निगमन गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना कार्यों के निष्पादन के लिए 16 मई, 2018 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में किया गया था। इरकॉन वीकेईएल का मुख्य उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर वार्षिकी मोड (चरण ।क- पैकेज ॥) एनएचडीपी चरण - VI हाइब्रिड के तहत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पडरा खंड) तक आठ लेन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के कार्य को निष्पादित करना है। ।

दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कंपनी द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर, 2018 तक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने के 150 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रियायत समझौते के संदर्भ में, कुल परियोजना बोली मूल्य 1865 करोड़ रूपएहै और प्रथम वर्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत 8.16 करोड़ रूपए है। निर्माण के दौरान परियोजना बोली लागत का 40% की एनएचएआई द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 60% वार्षिकी के रूप में निर्माण के पश्चात प्राप्य है।

वर्तमान में, परियोजना निर्माण चरण में है और निर्माण पूरा होने पर प्रचालन और अनुरक्षण चरण शुरू होगा। ईपीसी संविदाकार यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पहले ही उप-ठेकेदार नियुक्त किए हैं। एजेंसियों ने पहले ही स्थल पर संसाधनों को जुटाने का कार्य कर लिया है

और शीघ्र ही भौतिक कार्य शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दल और स्वतंत्र इंजीनियर पहले से ही स्थल पर उपलब्ध हैं।

## वित्तीय विशेषताएं : कंपनी का वित्तीय निष्पादन:

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं जो पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यत स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) से अंतरित किए गए हैं। तदनुसार, इंड एएस के अनुपालन हेतु लेखांकन नीतियों को पुन:निर्धारित किया गया है।

### दिनांक 31 मार्च 2018 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(रूपए हजार में)

| .सं | विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|
| 1. | इक्विटी शेयर पूंजी | 60,000 |
| 2. | अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि और अतिरेक सहित) | 499 |
| 3. | धारक कंपनी से ऋण (उधार) | 0 |
| 4. | विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति | 0 |
| 5. | **कुल संपत्ति और देयताएं** | |
| 6. | प्रचालन से राजस्व | 10,085 |
| 7. | अन्य आय | 674 |
| 8. | **कुल आय (6) + (7)** | 10,759 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | प्रचालन लागत | 0 |
| 10. | अन्य खर्चे | 10,085 |
| 11. | **कुल व्यय (9) + (10)** | 10,085 |
| 12. | मूल्यह्रास | - |
| 13. | **कर पूर्व लाभ (हानि) (8) - (11)** | 675 |
| 14. | कराधान के लिए प्रावधान | - |
| 15. | - वर्तमान | 386 |
| 16. | - पूर्ववर्ती वर्षों का कर | - |
| 17. | - आस्थगित कर | (210) |
| 18. | **कर पश्चात लाभ / (हानि)** | 499 |
| 19. | **अन्य वृहत आय** | |
| 20. | **कुल वृहत आय (संचयी लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय (15) + (16)** | 499 |

## 31 मार्च 2019 को कंपनी की शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 10,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को बढाकर वित्तीय वर्ष 2018- 19 के दौरान 1 करोड़ से 6 करोड़ रुपये कर दिया है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

| आवंटनकी तिथि | आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति शेयर 10 रूपए) | आवंटिती का नाम |
|---|---|---|
| 20 नवंबर, 2018 | 50,00,000 (5 करोड) @ प्रति 10 रू. | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) |

**परियोजना से रोकड़ प्रवाह:**

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह (21288.212 रूपए) (हजार में)।

**प्रबंधन एवं विार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर):**

एमडीएआर इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध-क पर संलग्न है

**वार्षिक रिटर्न का सार:**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम-12 के अनुसार, फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न का सार, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

**निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:**

कंपनी का प्रबंधन कंपनी के बोर्ड के रूप में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों की अध्यक्षता में है, जिनकी नियुक्ति आपकी कंपनी की धारक कंपनी द्वारा की गई है और ये कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार पहले निदेशक हैं: -

| क्र.सं | निदेशक | नियुक्ति तिथि | डीआईएन |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष | 16.05.2018 | 03056457 |
| 2. | श्री अशोक कुमार गोयल, नामिति निदेशक | 16.05.2018 | 05308809 |
| 3. | श्री आनन्द कुमार सिंह, नामिति निदेशक | 16.05.2018 | 07018776 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | श्री राजेन्द्र सिंह यादव, नामिति निदेशक | 16.05.2018 | 07752915 |
| 5. | सुश्री अनुपम बेन, नामिति निदेशक | 16.05.2018 | 07797026 |

**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:**

| क्र.सं | कंपनी के प्रमुख कार्मिक | नियुक्ति तिथि | पेन न. |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री बृज भूषण सिंह, मुख्या कार्यपालक अधिकारी (20.11.2018 को केएमपी नामित) | 20.11.2018 | AMWPS5537Q |
| 2. | श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी (20.11.2018 को केएमपी नामित)) | 20.11.2018 | AUSPK7929G |
| 3. | सुश्री रिचा महाजन, कंपनी सचिव (04.04.2019 को केएमपी नामित)) | 04.04.2019 | BSKPM9006P |

**निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013, बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार, नियम, 2014 और डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों, 2010 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 6 बार बैठकें आयोजित की हैं।

बोर्ड की बैठकें दिनांक 17.05.2018, 03.07.2018, 18.07.2018, 25.09.2018, 20.11.2018 और 30.01.2019 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित रहे:-

| निदेशक का नाम | बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित |
|---|---|
| श्री दीपक सबलोक | 5/6 |
| श्री अशोक कुमार गोयल | 5/6 |
| श्री आनन्द कुमार सिंह | 6/6 |
| श्री राजेन्द्र सिंह यादव | 6/6 |
| सुश्री अनुपम बेन | 6/6 |

## बोर्ड समितियां:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किसी समिति का गठन नहीं किया गया था।

## निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकन कार्मिकों में परिवर्तन:

इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। हालाँकि, कंपनी ने इरकॉन से श्री ब्रज भूषण सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और श्री राज कुमार, इरकोन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, को दिनांक 20 नवंबर, 2018 को इरकॉन वीकेईएल के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रूप में प्रतिनियुक्त किया है। कंपनी ने दिनाक 04 अप्रैल, 2019 को रिची महाजन को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

## निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **अनुबंध- ग** के रूप में संलग्न है।

## निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

**निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतददवारा पंष्टि की जाती है कि:**

क) दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

च) चूंकि कंपनी असूचीबद्ध है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के उपखंड (ग) के साथ पठित धारा 134 (5) का उप खंड (ड.) के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। । हालाँकि, वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

छ कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

**स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा और पुनर्नियुक्ति:**

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के प्रावधान लागू नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

**सांविधिक लेखापरीक्षक:**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2018 के पत्र सं. वी /सीओवाई / केंद्र सरकार, आईवीकेईएल(I)245 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स एन.सी. राज और एसोसिएट्स,नई दिल्ली, सनदी लेखाकार को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (1) के तहत अपेक्षित अनुसार लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है कि उनकी नियुक्ति, यदि की जाती है, तो कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 4(1) में निरर्धारित शर्तों के अनुसार की गई है और उनकी नियुक्ति, यदि की जाती है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 (3) (जी) के तहत निर्धारित सीमा के भीतर की जाएगी।

**निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:**

वित्तीय विवरणों का के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

**अंतर-निगमित ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण (धारा 185 और 186):**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

**संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:**

संबंधित पक्षों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन

व्यापार के सामान्य क्रम में था और यह आर्म लैंथ आधार पर थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था, जिसे संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एओसी- 2 में इसी को प्रस्तुत किया गया है जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध-घ पर संलग्न है।

**आरक्षित निधि के लिए लाभांश और विनियोजन:**

परियोजना की स्थिति के मद्देनजर जो परियोजना के आरंभ होने के प्रारंभिक चरणों पर है, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में "अन्य इक्विटी" के तहत प्रतिधारित आय के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास 31 मार्च 2019 तक प्रतिधारित आय शेष शून्य है।

**वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:**

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

**ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 8 (3) के साथ कंपनी अधिनियम (धारा) के नियम (2014) की धारा 134 (3) (एम) के तहत निर्धारित विवरण, 2014 निम्नानुसार दिए गए हैं:

**क. ऊर्जा का संरक्षण: -**

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

**ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -**

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त लगी है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

**ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -**

वर्ष 2018-19 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

**जोखिम प्रबंधन:**

कंपनी के पास अपनी गतिविधियों के अनुरूप सुदृढ व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है, जो व्यापार के जोखिमों की पहचान करने में सक्षम है। बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

**कर्मचारियों के विवरण:**

कंपनियों (नियुक्ति और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) नियम, 201 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा-134 (3) के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने प्रतिवर्ष 60 लाख रूपए या उससे अधिक, या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

**निगमित सामाजिक उत्तरदायितव:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

**व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:**

वित्तीय वर्ष 2018- 19 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों का विवरण:**

आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण-स्वामित्व वाल सहायक कंपनी है। समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी नहीं थी।

**सार्वजनिक जमा राशि:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा को आमंत्रित नहीं किया है।

**कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों के महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश**

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा काई महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

**वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण:**

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों की जांच की गई थी और इसके अभिकल्प और प्रचालन में कोई महत्पपूर्ण तथ्यात्मक कमी नहीं देखी गई थी।

**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

**सतर्कता तंत्र:**

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के प्रावधान सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित हैं जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**समझौता ज्ञापन:**

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में निगमित किया गया है इसलिए, जून 2018 के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की है ।

**कंपनी के बैंकर:**

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का शाखा कार्यालय : प्रथम तल, पालिका भवन, आर.के. पुरम ब्लॉक बी, सेक्टर 13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066में है जो कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और सावधि जमा (एफडी) के रखरखाव के रूप में सेवाएं प्रदान करने के मामले में कंपनी का एममात्र बैंकिंग साझेदार है।

**आभारोक्ति:**

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता और सहयोग हेतु, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक एसोसिएट्स, कंपनी के लेखापरीक्षक और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कंपनी को दी गई मूल्यवान सहायता और सहयोग हेतु सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

**इरकॉन वीकेईएल के**
**निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से**
**ह/-**
**दीपक सबलोक**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 03056457**

**दिनांक : 29.09.2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

# प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

# प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

## औद्योगिक संरचना और विकास:

एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई अधिकतर राजमार्ग परियोजनाएं निर्माण,प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाएं या हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं हैं।

**हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं निर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से पीपीपी मॉडल में सड़क क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) मॉडल और बीओटी (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) मॉडल, दोनों का मिश्रण (हाइब्रिड) है।**

बीओटी मॉडल के अंतर्गत, निजी पक्ष सामान्यत 20 वर्ष (निर्माण अवधि सहित) की निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्माण, रखरखाव और टोल एकत्रण की जिम्मेदारी लेते हैं। इस 20 वर्षों के दौरान, सभी टोल एकत्रण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है और उसका अनुरक्षण उसके ही द्वारा किया जाएगा। 20 वर्षों की समाप्ति के पश्चात, सड़क का स्वामित्व एनएचएआई को सौंप दिया जाता है। इस मॉडल में निजी पक्ष निर्माण अवधि के दौरान सम्पूर्ण धनराशि का निवेश करते हैं और टोल एकत्रण के माध्यम से इस राशि (ब्याज लागत सहित) की वसूली की उम्मीद करते हैं। निजी पक्ष को सदैव आरंभिक रोकड़ निर्गम प्रवाह के संबंध में जोखिम बना रहा है।

इस जोखिम और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, बीओटी मॉडल वैकल्पिक रूप यथा बीओटी वार्षिकी मॉडल है। इस वार्षिकी मॉडल में, आम तौर पर एनएचएआई द्वारा टोल राजस्व जोखिम स्वयं लिया जाता है, जबकि ठेकेदार को सड़क निर्माण और अनुरक्षण के लिए पूर्व-निर्धारित वार्षिकी का भुगतान किया जाता है।

**शक्तियां व कमजोरियां:**

**शक्तियां**:

- एमएएच मॉडल के तहत एनएचएआई की अवसंरचनात्मक परियोजनाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हैं;
- विकासकता की वित्तीय तरलता और वित्तीय जोखिम सरकार द्वारा साझा किया जाता है;
- टोल राजस्व जोखिम प्राधिकरण यथा एनएचएआई द्वारा वहन किया जाता है और इसप्रकार विकासकर्ता राजमार्ग के निर्माण और अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर पाता है।

**कमजोरियों:**

- प्राकृतिक में परिवर्तन की संभावना रहती है।
- राजमार्गों से संबंधित निर्माण परियोजनाओं में समय पर परिणाम उत्पादन करने में दक्षता के संबंध समस्याएं आती हैं।

**अवसर और जोखिम:**

**अवसर:**

सड़कों और राजमार्गों पर लगातार बढ़ते वाहन संचलन संबंधित लाभप्रदता में स्थिरता और वृद्धि लाएंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व परियोजना का समापन प्राधिकरण से बोनस का कार्य करेगा।

**जोखिम:**

चूंकि एनएचएआई 60:40 के अनुपात में एचएएम परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है, इसलिए परियोजना के पूरा होने के लिए समय पर धन प्राप्त करने के लिए निधियों की कमी हो सकती है।

**प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वर्तमान प्रचालनिक और गैर-प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

**तालिका I: वर्तमान वित्तीय स्थिति** (रूपए हजार में)

| | विवरण | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक |
|---|---|---|
| | **राजस्व**: | |
| | प्रचालनों से राजस्व | 10,085 |
| | अन्य आय | 674 |
| | **कुल राजस्व** | 10,759 |
| | **व्यय**: | |
| | प्रचालनिक लागत | 0 |
| | अन्य व्यय | 10,085 |
| | कुल व्यय | 10,085 |
| | **करपूर्व लाभ** | 674 |
| | कराधान हेतु प्रावधान | 386 |
| | आस्थगित कर | (210) |
| | करपश्चात लाभ/(हानि) | 499 |
| | **कुल वृहत आय (लाभ(हानि) एवं अन्य वृहत आय सहित)** | 499 |

**मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में तथा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियां:**

कंपनी ने धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्त किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को नियुक्त किया है और कंपनी के कंपनी सचिव को कार्यकारी कार्यों, वित्तीय मामलों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनोंके कार्य हेतु खुले बाजार के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

**इरकॉन वीकेईएल के**
**निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से**
**ह/-**
**दीपक सबलोक**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 03056457**

**दिनांक : 29.09.2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

**अनुबंध– II**

## फॉर्म सं.एमजीटी 9

## वार्षिक रिटर्न का सार

**31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेत**

**[**कंपनी अधिनियम**,** 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम**,** 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में**]**

**क पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:**

| | | |
|---|---|---|
| | **सीआईएन** | U74999DL2018GOI334028 |
| | **पंजीकरण तिथि** | 16 मई 2018 |
| | **कंपनी का नाम** | इरकॉन वीकेईएल लिमिटेड |
| | **कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी** | शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) |
| | **पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा** | पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 |
| | **कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध** | गैर-सूचीबद्ध कंपनी |
| | **रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा** | लागू नहीं |

क) **कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां:** (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

| **क्र.सं** | **मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम** | **उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड** | **कंपनी के कुल टर्नओवर का %** |
|---|---|---|---|
| 1. | वडोदरा किम एक्सप्रेसवे (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पेट्रा खंड) निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना :<br>निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से ) | 42101 | 0 |

**III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :**

| **सं** | **कंपनी का नाम व पता** | **सीआईएन/जीएलएन** | **धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों** | **धारित शेयरों का प्रतिशत** | **लागू अनुच्छेद** |
|---|---|---|---|---|---|
| | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | यू45203डीएल1976जीओआई008171 | धारक कंपनी | 00% * | अनुच्छेद 2(46) |

*** 100%: 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं ।**

IV. **शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)**

**क) श्रेणीवार शेयर धारिता:**

| **शेयरधारकों की श्रेणी** | **वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [ 16 मई 2018 को]** | **वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [ 16 मई 2019 को]** | **वर्ष के दौरान % परिवर्तन** |
|---|---|---|---|

| | डीमेट | फिजिकल | कुल | कुल शेयरों का % | डीमेट | फिजिकल | कुल | कुल शेयरों का % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. प्रमोटर** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) केन्द्र सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) राज्य सरकार(सरकारें) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) निकाय निगम# | **शून्य** | 1000000 | 1000000 | 100% | **शून्य** | 6000000 | 6000000 | 100% | 600 |
| ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| च) कोई अन्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **(2) विदेशी** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)** | **शून्य** | 1000000 | 1000000 | 100% | **शून्य** | 6000000 | 6000000 | 100% | 600 |
| **ख. जन शेयरधारिता** | | | | | | | | | |
| **1. संस्थान** | | | | | | | | | |
| क) म्युचवल फंड | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) केन्द्र सरकार | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) राज्य सरकार (सरकारें) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ड.) उपक्रम पूंजी निधियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| च) बीमा कंपनियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| छ) एफआईआई | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| झ) अन्य (बताएं) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उप कुल (ख)(1):-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. गैर-संस्थागत** | | | | | | | | | |
| क) निकाय निगम | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i) भारतीय | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ii) विदेशी | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) व्यक्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग) अन्य (स्पष्ट करें) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अप्रवासी भारतीय<br>विदेशी निगमित निकाय | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| विदेशी राष्ट्रीय | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क्लियरिंग सदस्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रस्ट | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| विदेशी निकाय-डीआर | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उपकुल(ख)(2):-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **सकल योग (क+ख+ग)** | **शून्य** | 1000000 | 1000000 | 100% | **शून्य** | 6000000 | 6000000 | 100% | 600 |

**# निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 09 नामितियों के पास है।**

**ख)** प्रमोटरों की शेयरधारिता:

| क्र. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के आरंभ में 16 मई 2018 को शेयरधारिता | | | वर्ष के आरंभ में 16 मई 2019 को शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का % | |
| 1 | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**$** | 1000000 | 100% | - | 6000000 | 100% | शून्य | 600 |
| | कुल | 1000000 | 100% | - | 6000000 | 100% | शून्य | 600 |

**$ प्रमोटरों की शेयरधारिता:** कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 6,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

अन्य 09 शेयरधारक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से शेयरों को धारित कर रहे हैं।

**ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :**

| क्र सं | विवरण | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता* | | वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता * | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1. | वर्ष के आरंभ में | 1000000 | 100% | 1000000 | 100% |
| 2. | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): | शून्य | | | |
| 3. | वर्ष के अंत में | 6000000 | 100% | 6000000 | 100% |

* वर्ष**: 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

**घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :**

**(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर ):**

| क्र. सं | **प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु** | **वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*** | | **वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों का %** | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों का %** |
| | वर्ष के आरंभ में | **लागू नहीं।** | | | |
| | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): | | | | |
| | वर्ष के अंत में | | | | |

**ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

| क्र. सं | **निदेशक(निदेशकों) का नाम #** | **प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता** | **वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*** | | **वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों** | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **का %** | | **का %** |
| | **श्री दीपक सबलोक** | वर्ष के आरंभ में | **शून्य** | | | |
| | | वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि): | | | | |
| | | वर्ष के अंत में | | | | |

**$"इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रूपए के 200 इक्विटी शेयर और श्री आनंद कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और सुश्री अनुपम बेन, द्वारा प्रति 10 रूपए के शेयर धारित हैं।**

**V) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।**

| **विवरण** | **जमा राशियों सहित रक्षित ऋण** | **अरक्षित ऋण** | **जमा राशियां** | **कुल ऋणग्रस्तता** |
|---|---|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूल राशि | | | | |
| ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज | | | | |
| iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज | | | | |
| **कुल (i+ii+iii)** | | | | |
| **वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| * संवर्धन | | | | |
| * आवर्धन | | | | |
| **निवल परिवर्तन** | | | | |
| **वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| i) मूल राशि | | | | |
| ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज | | | | |
| iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज | | | | |
| **कुल (i+ii+iii)** | | | | |

**V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -**

**क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:**

| क्र.सं | परिश्रमिक का विवरण @ | एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | सकल वेतन | लागू नहीं | |
| | 1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन | | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ | | |
| 2. | स्टॉक ऑप्शन | | |
| 3. | स्वीट क्विटी | | |
| 4. | कमिशन<br>- लाभ के % के रूप में<br>- अन्य, बताएं… | | |
| 5. | अन्य, कृपया बताएं | | |
| | **कुल (क) $** | | |
| | **अधिनियम के अनुसार सीमा** | **लागू नहीं** | |

**ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:**

| क्र.सं | पारिश्रमिक का विवरण @ | निदेशकों का नाम | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | --- | ---- | ---- | --- | |
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | | | |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क | | | | | |
| | कमिशन | | | | | |
| | अन्य, कृपया बताएं | | | | | |
| | **कुल (1)** | **लागू नहीं** | | | | |
| 2 | अन्य गैर कार्यपालक निदेशक | | | | | |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क | | | | | |
| | कमिशन | | | | | |
| | अन्य, कृपया बताएं | | | | | |
| | **कुल (2)** | | | | | |
| | **कुल (ख)=(1+2) $** | **लागू नहीं** | | | | |
| | **कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक** | शून्य | | | | |
| | **अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग** | **लागू नहीं** | | | | |

**$ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक:** वित्ती वर्ष2018-19 के समापन पर कंपनी में पांचगैर कार्यपालक (नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड मं हैं जो बैठक शुल्क या कमिशन के रूप में शुन्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

**ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:**

| .सं | पारिश्रमिक का विवरण | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीईओ# | सीएस | सीएफओ | कुल |
| 1 | सकल वेतन | | | | |
| | 2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन | रू.10,21,697 | - | रू.7,43,210 | रू.17,64,907 |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य | रू.16,050 | - | - | रू.16,050 |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ | - | - | - | - |
| 2 | स्टॉक ऑप्शन | - | - | - | - |
| 3 | स्वीट क्विटी | - | - | - | - |
| 4 | कमिशन | | | | |
| | - लाभ के % के रूप मेंt | - | - | - | - |
| | अन्य, बताएं… | - | - | - | - |
| 5 | अन्य, कृपया बताएं | - | - | - | - |
| | **कुल** | **रू.10,37,747** | **-** | **रू.7,43,210** | **रू. 17,80,957** |

**VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:**

| प्रकार | कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा | प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय ] | की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. कंपनी** | | | | | |
| जुर्माना | **शून्य*** | | | | |
| दंड | | | | | |
| कंपाउंडिंग | | | | | |
| **ख. निदेशक** | | | | | |
| जुर्माना | **शून्य*** | | | | |
| दंड | | | | | |
| कंपाउंडिंग | | | | | |
| **ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी** | | | | | |

| | |
|---|---|
| जुर्माना | **शून्य*** |
| दंड | |
| कंपाउंडिंग | |

*कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

**इरकॉन वीकेईएल के**
**निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से**

**ह/-**
**दीपक सबलोक**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 03056457**

**दिनांक : 29.09.2019**
**स्थान** : **नई दिल्ली**

# निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) एक नैतिकतापूर्ण व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो एक संगठन की धन सृजन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों की प्रतिबद्ध है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी "कॉर्पोरेट प्रशासन के उपायों" के पालन पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाल को अपनाया जा सके और संव्यवहारों में पारदर्शिता को प्रभावी बनाया जा सके। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा हमारे प्रबंधन और हमारे हितधारकों के साथ प्रभावी संबंधों को सुनिश्चित करता है और इस परिवर्तनशील समय के साथ विकसित होने में हमारी मदद करता है।

## 1. कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने निर्णयनिष्ठानिर्धारण और कार्यों में सत्य-, जवाबदेही, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

## 2. निदेशक मंडल

**निदेशक मंडल की संरचना:-**

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद-54 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार, धारक कंपनी ने, इरकॉन वीकेईएल के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र.सं | निदेशक | पूर्णकालीन/ अंशकालीन/ स्वतंत्र | नियुक्ति की तिथि | डीआईएन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री दीपक सबलोक | अंशकालीन अध्यक्ष | 16.05.2018 | 03056457 |
| 2. | श्री अशोक कुमार गोयल | अंशकालीन निदेशक | 16.05.2018 | 05308809 |
| 3. | श्री आनन्द कुमार सिंह | अंशकालीन निदेशक | 16.05.2018 | 07018776 |
| 4. | श्री राजेन्द्र सिंह यादव | अंशकालीन निदेशक | 16.05.2018 | 07752915 |
| 5. | सुश्री अनुपम बेन | अंशकालीन निदेशक | 16.05.2018 | 07797026 |

कोई भी निदेशक कंपनी की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक या बैठक शुल्क प्राप्त नहीं करता है।

**निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति**

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी) बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां (नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष2018 - 19के दौरान छह बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है। चूंकि दो निरंतर बैठकों के बीच 90 दिन के समय अंतराल की अनुमति दी गई है, इसलिए वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तदनुसार है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधन के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

**बोर्ड की बैठकों और अन्यकंपनियों और बोर्ड समितियों में उनकेनिदेशक पद या सदस्यता सहित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा**

## वित्तीय वर्ष2018 -19 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की अनुसूची

**कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में**

| क्र.सं | बोर्ड बैठक की सं. | बोर्ड बैठकों की तिथि | पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या) | उपस्थित सदस्यों की संख्या | अनुपस्थित सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 17 मई, 2018 | - | 3 | 2 |
| 2. | 2 | 3 जुलाई, 2018 | 46 | 5 | - |
| 3. | 3 | 18 जुलाई, 2018 | 15 | 5 | - |
| 4. | 4 | 25 सितंबर, 2018 | 68 | 5 | - |
| 5. | 5 | 20 नवंबर, 2018 | 55 | 5 | - |
| 6. | 6 | 30 जनवरी, 2019 | 70 | 5 | - |

**बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता**

**(इस रिपोर्ट की तिथि को )**

| निदेशक | पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र | कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन वीकेईएल को छोड़कर) | कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन वीकेईएल को छोड़कर) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| दीपक सबलोक<br>[डिन 03056457] | अंशकालीन<br>अध्यक्ष | 10<br>(इरकॉन आईएसटीपीएल<br>इरकॉन पीबीटीएल<br>इरकॉन एसजीटीएल, सीईआरएल, | 1 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, और इरकॉन डीएचएचएल) | | |
| अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809] | अंशकालीन निदेशक | 5 (इरकॉन ईएसटीपीएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल) | 4 | 5 |
| आनंद कुमार सिंह [डिन 07018776] | अंशकालीन निदेशक | 3 (इरकॉन पीबीटीएल,, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल) | 3 | 4 |
| राजेंद्र सिंह यादव [डिन 07752915] | अंशकालीन निदेशक | 3 (इरकॉन पीबीटीएल,, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल) | - | 5 |
| अनुपम बेन [डिन 07797026] | अंशकालीन निदेशक | 3 इरकॉन पीबीटीएल,, इरकॉन एसजीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल] | 2 | 1 |

**निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए**

**(वर्ष 2018-18 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)**

| निदेशक | पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र | कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन वीकेईएल को छोड़कर) | कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन वीकेईएल को छोड़कर) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| शून्य | | | | |

**टिप्पणियाँ:**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।

4. निदेशक पद / समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

5. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।

6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।

7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

   क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

ख) इरकॉनएलएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

ड.) इरकॉनएसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड

छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड

ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

झ) इरकॉनवीकेईएलल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ट) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

**3. वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति**

बोर्ड की बैठकें दिनांक 17.05.2018, 03.07.2018, 18.07.2018, 25.09.2018, 20.11.2018 और 30.01.2019 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (बी) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2018- 19 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

| निदेशक का नाम | बोर्ड बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति रहे |
|---|---|
| श्री दीपक सबलोक | 5/6 |
| श्री अशोक कुमार गोयल | 5/6 |
| श्री आनन्द कुमार सिंह | 6/6 |
| श्री राजेन्द्र सिंह यादव | 6/6 |
| सुश्री अनुपम बेन | 6/6 |

**साधारण बैठकें**

वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरधाराकों की केवल एक वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका-2: साधारण बैठकें**

| क्र.सं | शेयरधारक बैठकों का प्रकार | बैठक की तिथि | समय | स्थल | संव्यवहार हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सामान्य कार्य | विशेष कार्य |
| 1. | प्रथम चौथी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) | 23 जुलाई 2018 | 10:30 बजे | कंपनी पंजीकृत कार्यालय दिल्ली | - | कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां |

**3. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -**

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें।

प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनोंऔर नियुक्तियों के संबंध में एफसीए में रिपोटों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

## 3. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-ग1 के रूप में प्रस्तुत)।

## 4. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सेचव, रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 से प्राप्त किया गया है और अनुबंध-सी2 के रूप में संलग्न है।

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के**
**निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से**

**ह/-**
**दीपक सबलोक**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 03056457**

**दिनांक : 29.09.2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

**अनुबंध-ग**

**अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
**कंपनी सचिव**

---

## सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई),के निगमित शासन दिशानिर्देशों 2010 बंधित प्रमाणपत्र सहित अनुपालन सं के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों

**सेवा में,**
**सदस्य,**
**इरकॉनवीकेईएल,**
**सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,**
**नई दिल्ली-110017**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन वीकेईएल को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से -द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा (डीपीई) कताओं का अनुपालन किया हैनिगमित शासन की अनिवार्य आवश्य, केवल :

*हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है केवल निम्न को छोड़कर यथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन (i), हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा और पारिश्रमिक समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है यह भी विदित है कि निदेशक की नियुक्ति धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसरण में) द्वारा की जाती है। (ii) कंपनी ने डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।*

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

**कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स**

**कंपनी सचिव**

**ह/-**

**(अरूण कुमार गुप्ता )**
**एफसीएस- 5551**
**सीपी सं.- 5086**
स्थान: नई दिल्ली
दनांक: 29.07.2019

**अनुबंध-ग-I**

## मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है -:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

| | |
|---|---|
| श्री बृज भूषण सिंह | श्री राज कुमार |
| मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) | मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) |

**दिनांक: 29.07.2019**
**स्थान: नई दिल्ली**

**अनुबंध"क"**

**अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)**

**कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म**

**(वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु)**

*********************

**I. आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :**

**दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा या व्यवस्थाओंया संव्यवहारों में प्रवेश नहीं किया गय है जो आर्म लैंथ आधार पर न हों।**

**II) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :**

| **क्र.सं** | **संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति** | **संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति** | **संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि** | **मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें** | **बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:** | **अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) (धारक कंपनी) | **(क) ईपीसी करार का निष्पादन** | ईपीसी करार के निष्पादन की तिथि: 19.11.2018<br>**अवधि:** ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारासूचित नियुक्ति तिथि से 730 है। | परियोजना की कुल लागत 1377.73 करोड़ रूपए है। | लागू नहीं | शून्य |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(ख)सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना** | तिथि: पट्टा करार तिथि 09.08.2018<br><br>अवधि:17.05.2018 से तीन वर्ष हेतु | किराया: पट्टा किराया @ 654 वर्ग फुट x 297 प्रति वर्ग फुट जो मासिक आधार पर प्रभारित है यथा रू. 19305, जो नवीकरण पर 10 प्रतिशत के संवर्धन और निगमितककार्यालय के भीतर पट्टा प्रभारों सहित है। | | |

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के**
**निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से**

**ह/-**
**दीपक सबलोक**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 03056457**

**दिनांक : 29.07.2019**
**स्थान : नई दिल्ली**

# इरकॉन वीकेईएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**इरकॉन वीकेईएल, नई दिल्ली के सदस्य**

**स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोट**

**मत**

हमने इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

इस रिपोर्ट में संशोधन, दिनांक 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम 2013 (" अधिनियम ') के खंड-139 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा केदौरान भारत के महालेखा परीक्षक के निरीक्षण के परिणामस्वरूप किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के खंड143 के अंतर्गत दिनांक 02 मई 2019 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2019 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप दिनांक 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

**मद का आधार**

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्ववों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम कंपनी

अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लपेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

**प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दें पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

**स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्यस वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दोंऔर लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता

का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

**वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मान के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है

स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण

का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

**1. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

**2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:**

1. हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

2. हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

3. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

4. हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 के नियम-7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

5. कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

6. सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।

7. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

   ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

   iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

**अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:**

| क्र.सं | विवरण | लेखापरीक्षा का उत्तर |
|---|---|---|
| **1.** | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें। | कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है। |
| **2.** | कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। | लागू नहीं है क्योंकि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है। |
| **3.** | क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है? विपथन के मामलों की सूची बताएं। | वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है। |

**कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म का पंजीकरण नं. 002249N**

**राहुल गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 093114**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 09.07.2019**

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5(1) के संदर्भ में अनुबंध-क।**

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनोंपर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है।

ii. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के प्रावधान लागू नहीं है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

v. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

vi. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत आवश्यक लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

vii. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2019 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

2. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2019 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

| **सांविधि का नाम** | **विवादित देय रशियों की प्रकृति** | **बकाया राशि/करोड़ रूपए में** | **अवधि जिससे राशि संबंधिह है** | **मंच जहां विवाद लंबित है** |
|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | |

viii. कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण की हमारी जांच कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही डिबेंचरधारक के प्रति कोई देय है, ऋणों या कर्ज के पुनर्भुगतान में कंपनी द्वारा चूक का प्रश्न नहीं उठता।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. कंपन एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

**कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म का पंजीकरण नं. 002249N**

**राहुल गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 093114**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 09.07.2019**

**31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।**

**कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

**लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं**

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

**मत**

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2019 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

**कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म का पंजीकरण नं. 002249N**

**राहुल गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता संख्या 093114**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 09.07.2019**

# वित्तीय विवरण

# वित्तीय वर्ष 2018-19

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
**सीआईएन - U74999DL2018GOI334028**
**31 मार्च 2019 को तुलनपत्र**

| | विवरण | नोट सं | 31 मार्च 2019 को | |
|---|---|---|---|---|
| I. | परिसंपतियां | | | |
| 1 | गैर चालू परिसंपतियां | | | |
| | (क) परिसंपति संयंत्र और उपकरण | 3 | 58,685 | |
| | (ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य | | - | |
| | (ग) निवेश परिसंपतियां | | - | |
| | (घ) अन्य अमूर्त परिसंपतियां | | - | |
| | (ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां | | - | |
| | (च) वित्तीय परिसंपत्यिां | 4 | | |
| | (i) निवेश | | - | |
| | (i) ऋण | 4.1 | 66,000 | |
| | (ii) अन्य | 4.2 | - | |
| | (छ) आस्थगित कर परिसपतियां (निवल) | 5 | 210,419 | |
| | (ज) अन्य गैर चालू परिसंपतियां | | - | |
| | **अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां** | | | 335,104 |
| 2 | चालू परिसंपतित्यां | | | |
| | (क) दरसूचियां | | - | |
| | (ख) वित्तीय परिसिंपतियां | 6 | | |
| | (i) निवेश | | - | |
| | (ii) व्यापार प्राप्य | | - | |
| | (iii) राकड़ एव राकड़ समतुल्य | 6.1 | 39,026,948 | |
| | (ivi)अन्य बैंक शेष | 6.2 | - | |
| | (iv) ऋण | 6.3 | 68,000 | |
| | (v) अन्य | 6.4 | 10,337,834 | |
| | (ग) चालू परिसंपतियां (निवल) | | - | |
| | (घ) अन्य चालू परिसंपतियां | 7 | 14,813,214 | |
| | **कुल चालू परिसंपत्यिां** | | | 64,245,996 |
| | **कूल पारसपात्त्या** | | | **64,581,100** |
| II. | **इक्विटी एवं देयताएं** | | | |
| 1 | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 8 | 60,000,000 | |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 9 | 499,031 | |
| | कुल इक्विटी | | | 60,499,031 |
| 2 | देयता देयताएं | | | |
| (i) | गैर-चालू देयताएं | | | |
| | (a) (क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | (i) ऋण | | - | |
| | (ii) व्यापार देय | | | |
| | - सूक्ष्म और लघ् उपक्रमों को देय | | - | |
| | - सुक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय | | - | |
| | (iii) अन्य वित्तीय परिसंपतियां | | - | |
| | (ख) प्रावधान | | - | |
| | (ग) अन्य गैर चालू देयताएं | | - | |
| | **कुल गैर चालू देयताऐ** | | | - |
| (ii) | चालू देयताएं | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | 10 | | |
| | (i) व्यापार देय | 10.1 | | |
| | - सूक्ष्म और लघ् उपक्रमों को देय | | - | |
| | - सुक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय | | 3,666,611 | |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 10.2 | 31,000 | |
| | (ख) अन्य चालू देयताएं | 11 | 46,491 | |
| | (ग) प्रावधान | | - | |
| | (घ) चालू कर देयता (निवल) | 11.1 | 337,967 | |
| | **कुल चालू देयताएं** | | | 4,082,069 |
| | **कूल इक्विटी एवं देयताएं** | | | **64,581,100** |
| III. | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | 1 - 2 | | |
| IV. | वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट | 3 - 32 | | - |

**हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

**कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन:002491**

**दीपक सबलोक**
**निदेशक**
**डीआईएन 03056457**

**आनन्द कुमार सिंह**
**निदेशक**
**डीआईएन: 07018776**

**अशोक कुमार गोयल**
**निदेशक**
**डीआईएन: 05308809**

**राहुल गोयल**
**साझेदार**
**स.सं093114**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक : 02.05.2019**

**बी बी सिंह**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**राज कुमार**
**मुख्य वित्त अधिकारी**

**सुदोधनी**
**कंपनी सचिव**

# इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

**सीआईएन - U74999DL2018GOI334028**

**16.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु लाभ और हानि विवरण**

**राशि रूपए में**

| | विवरण | नोट सं. | 16.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु |
|---|---|---|---|
| I. | **राजस्व :** | | |
| | प्रचालनों से राजस्व | 12 | 10,084,737 |
| II. | अन्य आय | 13 | 674,367 |
| III. | **कुल आय (I + II)** | | 10,759,104 |
| IV. | व्ययः | | |
| | प्रयुक्त सामग्री और भंडारण | 14 (i) | - |
| | डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी | 14 (ii) | - |
| | परियोजना व्यय | 14 (iii) | 3,254,236 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 15 | 4,382,027 |
| | वित्तीय लागते | 16 | 1,414,674 |
| | मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि | 17 | 1,315 |
| | प्राथमिक व्यय | | 1,032,485 |
| | एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग | | - |
| | **कुल व्यय (V)** | | 10,084,737 |
| V. | आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV) | | 674,367 |
| VI. | आपवादिक मदें | | - |
| VII. | करपूर्व लाभ/हानि (V - VI) | | 674,367 |
| VIII. | कर व्ययः | | |
| | (1) चालू कर | | |
| | - वर्ष हेतु | 11.1 | 385,755 |
| | - पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल) | | - |
| | (2) आस्थगति कर (निवल) | 5 | (210,419) |
| | कुल कर व्यय | | 175,336 |
| IX | **निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)** | | **499,031** |
| X | **अन्य वृहत आय** | | |
| | **क.** (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | - |
| | (ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | - |
| | **ख.** (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा | | - |
| | (ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पूनःवर्गीकृत किया जाएगा | | - |
| XI | **अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं)** | | **499,031** |
| XII | प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु) | | |
| | (1) मूल | | 0.28 |
| | (2) विलायत | | 0.28 |
| XIII | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | 1 - 2 | |
| XIV | वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट | 3 -32 | |

**हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स** | **दीपक सबलोक** | **आनन्द कुमार सिंह** | **अशोक कुमार गोयल** |
| **सनदी लेखाकार** | **निदेशक** | **निदेशक** | **निदेशक** |
| **एफआरएन:002491** | **डीआईएन 03056457** | **डीआईएन: 07018776** | **डीआईएन: 05308809** |

**राहुल गोयल**
**साझेदार**
**स.सं093114**
**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांक : 02.05.2019**

| | | |
|---|---|---|
| **बी बी सिंह** | **राज कुमार** | **सुदोधनी** |
| **मुख्य कार्यपालक अधिकारी** | **मुख्य वित्त अधिकारी** | **कंपनी सचिव** |

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
**सीआईएन - U74999DL2018GOI334028**
**16.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण**

राशि रूपए में

| विवरण | | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|---|
| प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह | | |
| **कराधान पश्चात निवल लाभ** | | 674,367 |
| समायोजन | | |
| विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर | | - |
| निर्धारित लाभ योजना के पुनर्मापन पर बांमांकक लाभ/ (हानि) | | - |
| मूल्यह्रास परिशोधन तथा हानि | | 1,315 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल) | | - |
| निवेशों की बिक्री पर लाभ | | - |
| ब्याज आय | | (503,749) |
| लाभांश आय | | - |
| विदेशी मुद्रा रोकड एव रांकड़ समतुल्य अंतरण पर विनिमय अंतर | | - |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व लाभ** | **(1)** | **171,933** |
| **समायोजन:** | | |
| व्यापार प्राप्य/वित्तीय परिसंपत्ति - ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि) | | (134,000) |
| दर सूचियों में कमी / (वृद्धि) | | - |
| अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) | | (25,022,459) |
| व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि) | | 3,666,611 |
| अन्य देयताओं वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में कमी / (वृद्धि) | | 77,491 |
| | **(2)** | **(21,412,357)** |
| **प्रचालन से अर्जित रोकड़** | **(1+2)** | **(21,240,424)** |
| प्रदात्त आयकर | | (47,788) |
| **प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़** | **(क)** | **(21,288,212)** |
| **निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| सीडब्यूआईसी सहित परिसंपत्ति , संयंत्र और मशीनरी की बिक्री | | (60,000) |
| प्राप्त ब्याज | | 375,160 |
| **निवेश गतिविधियों से निवल रोकड** | **(ख)** | **315,160** |
| **वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़** | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना | | 60,000,000 |
| **वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़** | **(ग)** | **60,000,000** |
| विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव | **(घ)** | **-** |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल कम** | **(क+ख+ग+घ)** | **39,026,948** |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)** | **(ड.)** | **-** |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)** | **(च)** | **39,026,948** |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)** | **(च -ड.E)** | **39,026,948** |

**नोट:**

1. 01 अप्रैल 2017 से, कंपनी ने इंड एएस 7 में संशोधन को स्वीधकार किया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाह और गैर रोकड़ परिवर्तन शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और समापन शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने से इस संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है। -

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
के निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन:002491

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

आनन्द कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 07018776

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन: 05308809

राहुल गोयल
साझेदार
स.सं093114
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 02.05.2019

बी बी सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

राज कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

सुदोधनी
कंपनी सचिव

# इक्विटी परिवर्तन विवरण

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
**31 मार्च 2019 को इक्विटी परिवर्तन विवरण**

**(रूपए में)**

| **क. इक्विटी शेयर पूंजी** | **31 मार्च 2018 को शेष** | **वर्ष के दौरान जारी शेयर** | **वर्ष के दौरान शेयर बायबैक** | **31 मार्च 2019 को शेष** |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 60,000,000 | - | **60,000,000** |

**ख. अन्य इक्विटी**

| **विवरण** | **आरक्षित निधि एवं अतिरेक** | | | **अन्य वृहत आय की मदें** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **सामान्य आरक्षित निधि** | **प्रतिधारित आमदनी** | **पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि** | **विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर** | |
| **01 अप्रैल 2018 को शेष** | **-** | **0** | **-** | **0** | **0** |
| लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन | | | | | - |
| **रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| वर्ष हेतु लाभ | | 499,031 | | | 499,031 |
| **अन्य वृहत आय** | | | | | |
| निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन | | - | | | - |
| विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर | | | | 0 | - |
| **अवधि हेतु कुल वृहत आय** | **-** | **499,031** | **-** | **0** | **499,031** |
| इक्विटी शेयरों का बायबैक | | | | | - |
| घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृहद्धहेतु शुल्क का भुगतान | | - | | | - |
| घटा: शेयरों के बायबैक का भुगतान | | - | | | - |
| घटा: प्रदत्त लाभांश | | - | | | - |
| घटा: लाभांश संवितरण कर | | - | | | - |
| घटा: बोनस इश्यु | | - | | | - |
| **31 मार्च 2019 को शेष** | **-** | **499,031** | **-** | **0** | **499,031** |

**हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से**

**कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन:002491**

**दीपक सबलोक**
**निदेशक**
**डीआईएन 03056457**

**आनन्द कुमार सिंह**
**निदेशक**
**डीआईएन: 07018776**

**अशोक कुमार गोयल**
**निदेशक**
**डीआईएन: 05308809**

**राहुल गोयल**
**साझेदार**
**स.सं093114**
**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक : 02.05.2019**

**बी बी सिंह**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**राज कुमार**
**मुख्य वित्त अधिकारी**

**सुदोधनी**
**कंपनी सचिव**

**वित्तीय विवरणों के नोट**

**1. कंपनी का परिचय**

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल**)** सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड **(**इरकॉन**)** की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन वीकेईएल **(**सीआईएन **U**74999**DL**2018**GOI**33402) का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब **"**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई**I)** द्वारा रियायत समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार इरकॉन को गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के चरण- **VI** के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण **Iक-** पैकेज **II)** के तहत किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सपना से पेद्रा खंड तक) का आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का काम सौंपा गया था। । "अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने दिनाक 16 मई, 2018 को शामिल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉनवीकेईएल 1865 करोड़ परियोजना मूल्य की राशि के लिए 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत की अवधि एनएचएआई द्वारा अधिसूचित अनुसार नियत तारीख से शुरू होने वाली 730 दिन है अर्थात दिनांक 31 जनवरी, 2019 को । कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **C-**4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली- 110017 में स्थित है।

**2. इंड एएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**(i) तैयारी का आधार**

(क) अनुपालन रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2019 को और हेतु समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने वित्तीय विवरणों को भारत में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथाअधिसूचित लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

(ख) **मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

i. निर्धारित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ।

ii. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओंको उचित मूल्य पर मापा गया है।

iii. पैरा (**x**)(घ) के अनुसार प्रावधान**,** जहां राशि समय मूल्य हैं है तथ्यात्म है।

(ग) **अनुमानों और निर्णय का प्रयोग**

**वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।**

**प्रमुख लेखांकन अनुमान**

**आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति** - किस स्तर तक आस्थगित कर को स्वीकृति प्रदान की जा सकता है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

**प्रावधान** - प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और विधिक पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को, कंपनी बकाया आकस्मिक देनदारियों के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालाँकि, वास्तविक भविष्य के परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकते हैं।

**राजस्व**-कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी प्रगति का यथोचित आकलन करने के पश्चात समय के साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को चिह्नित करती है।

राजस्व की मान्यता के लिए कार्यक्षेत्र के परिवर्तनों, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) पर किए जाने वाले आकलन और निर्णयों की आवश्यकता होती है और अन्य भुगतानों की सीमा तक निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करते हैं और वे संभावित हैं और उचित रूप से

मापा जा सकने में सक्षम हैं। दावों के लिए अनुमान लगाने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपलब्ध संविदात्मक और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग किया है।

**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार के एक महत्वपूर्ण अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभारित किसी संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के अनुमान और यह उसके जीवन के अंत में अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य निर्धारित करने के पश्चात प्राप्त होता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है, जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

**प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।**

**सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों कों दो दशम्लव तक निकटत करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोडकर जहां अन्यथा** उल्लिखित हो।

### (ii) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

### (iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(3) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि,:

क. यह संभावित हो कि उस मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और

ख. उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा।

(4) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(5) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(6) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

(7) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

## मूल्यह्रास एवं परिशोधन

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः

| **विवरण** | **उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)** |
|---|---|
| भवन/फ़्लैट : आवासीय/गैर आवासीय | 60 |
| संयंत्र और मशीनरी | 8–5 |
| सर्वेक्षण उपकरण | 10 |
| कम्प्यूटर | 3–6 |
| कार्यालय उपकरण | 5 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 10 |
| कारवांग, कैंप और अस्थायी शेड | 3–5 |
| वाहन | 8–10 |

ध. पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

ड. मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

च. वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

## (iv) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन एवं संभावित हानि, यदि कोई हो पर वर्णित किया जाता है।

### अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

क. अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा।

ख. अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

| अमूर्त परिसंपत्तियां | उपयोगी जीवनकाल | स्वःसृजित/अधिग्रहित |
|---|---|---|
| पट्टा अधिकार | 36 माह | अधिग्रहित |

ख. परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

ग. प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

## (v) मालसूचियां

### क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

### ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और शंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रशरित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

## (vi) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन तथा बैंक ओवरड्रफ्ट के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

## (vii) प्रावधान

### क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ii) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रूपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

### ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

**ग) अन्य**

प्रावधान किए जाते हैं जब :–

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

**घ) प्रावधानों का खंडन**

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

**ड. अलाभप्रद संविदा**

संविदा जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने वाली अपरिहार्य लागतें इससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ से अधिक हो जाती हैं, को अलाभप्रद संविदा कहते हैं और ऐसी संविदाओं के अंतर्गत प्रस्तुत दायित्वों को प्रावधान के रूप में स्वीकार और मापा जाता है।

**(viii) राजस्व मान्यता**

**(क) सेवा रियायत करार**

कंपनी इंड एएसः115 : ग्राहाकों के साथ संविदा से राजस्व के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है तथा सेवाओं का स्तरोन्नयन करती है!

**कंपनी द्वारा प्राप्य या प्राप्त की जाने वाली सहमति वित्तीय परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है कि उसे निर्माण**

सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") के निदेश पर नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है, अनुदान देने वाले के पास यदि कोई हो, तो भुगतान से बचने के लिए विवेक आमतौर पर क्योंकि समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है।

कंपनी को अशर्त नकद प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि अनुदानकर्ता कंपनी को निर्दिष्ट या निर्धारित मात्रा का भुगतान करने की गारंटी देता है, भले ही भुगतान कंपनी पर निर्भर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधारभूत अवसंरचना ढांचा निर्दिष्ट गुणवत्ता या दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करता है।

संविदा राजस्व को उससमय मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुदानकर्ता को आश्वस्त सेवा स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है। कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन/संवर्धन करती है जो गारंटर के नियंत्रण में हैं। चूंकि परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन किया गया है इसलिए कंपनी समय के साथ कार्यष्पिादन दायित्वों को संतुष्ट करने पर इस नियसंत्रण को अंतरित करती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की स्वीकृति तब करती है यदि यह निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि पर इसकी प्रगति को युक्तिसंगत स्तर पर मापा जा सके। हालांकि, जहां कंपनी यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को आशा है निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करने में आने वाली लागतों की वसूली के लिए कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार करेगी, जबतक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप नहीं सकती।

निष्पादन दायित्व को लागू इनपुट पद्धति पर मापा जाता है। इनपुट पद्धतियां कंपनी के प्रयासों या उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित इनपुट के सापेक्ष निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर राजस्व को स्वीकार करती है। यदि कंपनी के प्रयासों या इनपुट को पूर्ण निष्पादन अवधि में समान रूप से खर्च किया जाता है तो कंपनी सीधे आधार पर राजस्व को स्वीकार करती है। निष्पादन दायित्वों से उत्पन्न होने वाली देरी के कारण अपेक्षित इनपुट को तरल क्षति/दंड (एलडी) के लिए समायोजित किया जाता है।

उन संविदाओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है वहां कंपनी आउटपुट पद्धति को लागू करती है जो ईमानदारी से निकाय के निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि को दर्शाती है।

राजस्व को उस संव्यवहार मूल्य पर मापा जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया गया है। संव्यवहार का मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि अनुदानकर्ता को प्रस्तावित सेवा के स्थानांतरित के स्थान पर हकदार प्राप्त होगा। विलिंब/दंड हेतु क्षतिपूर्ति, मूल्यसंवर्धन और बोनस में हानि के लिए प्रबंधन को द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और इसे केवल इस सीमा तक समायोजित किया जाता है कि यह अत्यधिक संभावना हो कि स्वीकृत राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

संविदा के निर्धारण के पश्चात, संविदा मूल्य में कई कारणों से परिवर्तन हो सकता हैए जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस विचार की मात्रा को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी को आश्वस्त सामान या सेवाओं के स्थान पर हकदार होने की आशा है। कंपनी संविदा के अंतरण के दौरान उसी आधार पर लेनदेन के मूल्य में किसी भी परिवर्तन के कारण संविदा के निष्पादन दायित्वों को आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन हुआ है।

कंपनी निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि पर पृथक संविदा के रूप में संविदा अनुबंध संशोधन लेखांकन करती है:

क. संविदा का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है क्योंकि प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं के जोड़ अलग-अलग होते हैं अर्थात ग्राहक को माल या सेवाओं का लाभ स्वयं या अन्य संसाधनों के साथ मिल सकता है जो ग्राहक को आसानी से उपलब्ध हैं (माल या सेवा विशिष्ट होने में सक्षम) और ग्राहक को माल या सेवा हस्तांतरित करने के लिए कंपनी का आश्वासन संविदा में अन्य आश्वासनों से अलग पहचाना जा सकता है (माल या सेवा अनुबंध के संदर्भ में अलग है)।

ख. संविदा का मूल्य वसूलीयोग्य राशि के साथ बढ जाता है जो कंपनी के स्टैंडएलोन अतिरिक्त मूल्य वाले सामान या सेवाओं की बिक्री की कीमतों को दर्शाती है और विशेष

संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य हेतु किसी भी उपयुक्त समायोजन को दर्शाती है।

यदि संविदा को पृथक संविदा के रूप में लेखांकित नहीं जाता है तो आश्वस्त सामान या सेवाओं के लिए कंपनी का खाता अभी तक अनुबंध संशोधन की तारीख (यानी शेष वादा किए गए सामान या सेवाओं) में स्थानांतरित नहीं होता है। विचार की राशि फिर से निर्धारित की जाती है

**ख. अन्य राजस्व स्वीकृति**

(i) ब्याज आय को प्रभावी ब्यात दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

(ix) **पट्टा**

**(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी**

वित्तीय पट्टाः–

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

(ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

(iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

**प्रचालन पट्टाः–**

(i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि

के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

**ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता**

वित्तीय पट्टाः

(i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।

(ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवेल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्ट के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

**प्रचालन पट्टा :**

(i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है

**(ii)** कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी–रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

## (x) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा। हानि का आकलन करने के प्रयोजन से, परिसिंपत्तियां जिनका व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के छोटे समूहों के रूप में समूहित किया जाता है जो निरंतर प्रयोग द्वारा रोकड प्रवाह सत्रजित करते हैं जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों/रोकड सृजित इकाइयों से होने वाले रोकड प्रवाहों से स्वतंत्र होते हैं!

(xi) **उधार लागतें**

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(xii) **कर्मचारी लाभ**

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

(xiii) **कर**

**चालू आयकर**

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

**ख) आस्थगित कर**

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

## (xiv) प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

## (xv) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

## (xvi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क. आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख. आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

ध. आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

## (xvii) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

– स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

– स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

– स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

### (xviii) इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

### (xix) वित्तीय माध्यम

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

**वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।**

**ख.. अनुवर्ती मापन**

**ख1. वित्तीय परिसंपत्तियां**

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता हैः

**क. परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम**

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

i) वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ii) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

निम्नलिखित परिसंपत्तियों को परिशोधित मूल्य पर मापा जाता है:

i. व्यापार प्राप्य

ii. प्रतिभूति जमा राशि

iii. प्रतिधारण राशि

iv. ग्राहकों के पास धारित राशि

v. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

vi. ऋण एवं अग्रिम

vii. कर मुक्त बांडों में निवेश

**ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)**

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर

ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

### ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

### ख2. वित्तीय देयताएं

### क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

### ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी  एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

### ग. गैर–स्वीकार्यता

### वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

### वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप

से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

### घ. वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

## (xx) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्त्यिां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है।

बिक्री /संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस–105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में

वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपतियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

### (xxi) वित्तीय गारंटियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं, जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

**3 परिसंपति संयंत्र और उपकरण**

**(रूपए में)**

| **विवरण** | **कम्प्यूटर** | **मोबाईल** | **कार्यालय उपकरण** | **फर्नीचर एवं फिक्सचर** | **वाहन** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **सकल वहन मूल्य (लागत पर)** | | | | | | |
| संवधेन | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| निपटान/समायोजन | - | - | - | - | - | - |
| विनियम लाभ/(हानि) | - | - | - | - | - | - |
| **31 मार्च 2018 को** | **60,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **60,000** |
| **मूल्यह्रास एवं हानि** | | | | | | |
| वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास | 1,315 | - | - | - | - | 1,315 |
| हानि | - | - | - | - | - | - |
| निपटान/समायोजन | - | - | - | - | - | - |
| विनियम लाभ/(हानि) | - | - | - | - | - | - |
| **31 मार्च 2019 को** | **1,315** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,315** |
| **निवल बही मूल्य** | | | | | | |
| **31 मार्च 2019 को** | **58,685.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **58,685** |

## 4 वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

### 4.1 ऋण

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| **क: रक्षित, वसूली योग्य** | |
| कर्मचारी ऋण और अग्रिम | 66,000 |
| | |
| कुल (क) - वसूली योग्य - रक्षित | **66,000** |

| | |
|---|---|
| **ख. वसूली योग्य - अरक्षित** | |
| **(i) संबंधित पक्षों को ऋण:** | |
| **(ii) अन्य:** | |
| कर्मचारी ऋण और अग्रिम | - |
| | |
| **कुल (ख) - वसूली योग्य : अरक्षित (i+ii)** | **-** |

**ग. ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि** -

**घ. ऋण हानि** -

| | |
|---|---|
| **सकल योग - ऋण** | **66,000** |
| * निदेशकों को देय राशि का ब्यौरा: | |
| स्टाफ ऋण और अग्रिम सहित निदेशकों से देय राशि | |
| | |
| **कुल** | **-** |

### 4.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| **क) वसूली योग्य** | |
| प्रतिभूति जमा राशि | |
| - सरकारी विभाग | - |
| - अन्य | - |
| ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि | - |
| ग्राहकों द्वारा आहरित राशि | - |
| संबंधित पक्षों से वसूली योग्य | |
| **कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** | **-** |

| | |
|---|---|
| **सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्त्यिां** | **-** |

# निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| स्टाफ ऋण और अग्रिम सहित निदेशकों से देय राशि | |
| **कुल** | **-** |

**5 आस्थगित कर देता**

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| प्रावधान | 214,757 |
| परिसंपत्ति , संयंत्र एवं उपकरण तथाअमूर्त परिसंपत्तियां | (4,338) |
| अनय | - |
| **31 मार्च को समापन शेष** | **210,419** |

आस्थगित कर देयताओं को अलग रखागया है क्यों कि वे समान शासी नियम से संबंधित है।

**6 वित्तीय परिसंपत्तियां**

**6.1 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य**

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड | | - |
| उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट | | - |
| पारगमन में प्रेषण | | - |
| *बैंकों में शेष:* | | |
| - चालू खातों में | | 26,948 |
| - फ्लैक्सी खातों में | | 39,000,000 |
| - तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले | | - |
| **कुल** | | **39,026,948** |

**6.2 रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों से इतर बैंक शेष**

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| **अन्य बैंक शेष** | |
| - तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाले | - |
| - ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा खाते | - |
| **कुल** | **-** |

**वित्तीय परिसंपत्तियां**

**6.3 ऋण**

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| **क. वसूली योग्य: रक्षित** | |
| कर्मचारी ऋण व अग्रिम | 48,000 |
| **कुल (क) - वसूलीयोग्य - रक्षित** | **48,000** |

**ख. वसूली योग्य: अरक्षित**
**(i) अन्य पक्षों से ऋण:** -

**(ii) अन्य***

| | |
|---|---|
| कर्मचारी ऋण व अग्रिम* | 20,000 |
| **कुल (ख) - वसूली योग्य - अरक्षित ऋण (i) + (ii)** | **20,000** |

**ग. ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि** -

**घ. ऋण घाटा** -

| | |
|---|---|
| **सकल योग** | **68,000** |

* निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा:

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| स्टाफ ऋण एवं अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि | |
| **कुल** | **-** |

**6.4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| **(क) वसूली योग्य** | |
| प्रतिभूति जमा राशि | |
| - सरकारी विभाग | - |
| - अन्य | 10,000 |
| ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि | - |
| ग्राहकों से आहरित राशि | - |
| बयाना जमा राशि | - |
| अर्जित ब्याज : | |
| - स्टाफ को अग्रिम | 114,508 |
| - संबंधित पक्षों को ऋण | - |
| - बैंकों में जमा राशि | 128,589 |
| **ख) संविदा परिसंपत्तियां** | |
| - बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य किन्त देय नहीं | 10,084,737 |
| **कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां - वसलीयोग्य** | **10,337,834** |

**ग) संदिग्ध समझे गए**

| | |
|---|---|
| प्रतिभूति जमा राशि | |
| - अन्य सरकारी विभाग | - |
| - अन्य | - |
| बयाना जमा राशि | - |
| ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि | - |
| ग्राहकों से आहरित राशि | - |
| घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों (अन्य) हेतु घाटा व्यवस्था | - |
| **कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां - संदिग्ध** | **-** |
| | |
| **सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य** | **10,337,834** |

कंपनी के अधिकारियों, फर्म जिसमें कोई निदेशक साझेदार है यानिजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों को छोड़कर, द्वारा देय ऋण शुन्य रूपए (शून्य रूपए) है।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| स्टाफ ऋण एवं अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि | - |
| **कुल** | **-** |

**7 अन्य चालू परिसंपतियां**

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|
| **क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम** | | |
| ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों से अग्रिम - संबंधित पक्ष- इरकॉन | | 7,649,841 |
| अग्रिम वसूलीयोग्य - | | |
| - वस्तु एंव सेवाकर | | 897,641 |
| **कुल - पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम** | | **8,547,482** |

**ख) अन्य**

| | |
|---|---|
| **संचित व्याज** | |
| जमा राशियां व अग्रिम: | |
| - ठेकेदार आपूर्तिकर्ता और अन्य | - |
| निपटान के लिए धारित परिसंपतियां | - |
| पर्वप्रदत्त व्यय: | 6,265,732 |
| उचित मल्य समायोजन | - |
| पटटासमायोजन | - |
| **कुल - अन्य** | **6,265,732** |

**ग) संदिग्ध समझे गए**

| | |
|---|---|
| ठेकेदारों, आपर्तिकर्ताओं और अन्यों से अग्रिम | - |
| **कुल - संदिग्ध समझे गये** | **-** |
| | |
| **सकल योग** | **14,813,214** |

## 8 इकिवटी शेयर पूंजी

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| **जारी/अंशादायी और प्रदत्त पूंजी** | |
| पूर्णत् प्रदत्त 60,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए | 60,000,000 |
| कुल | 60,000,000 |

कंपनी में शेयरधारण का ब्यॉरा

| | 31 मार्च 2019 को | |
|---|---|---|
| शेयरधारक का नाम | शेयरों की संख्या | श्रेणी में धारिता प्रतिशत |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके 9 नामिति | 6,000,000 | 100% |
| **कुल** | **6,000,000** | **100%** |

**रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों की अवधि के लिए बोनस के रूप में जारी इकिवटी शेयरों, रोकड़ से इतर विचाराधीन जारी शेयर और बाई बैक किए गए शेयरों की समग्र संख्या।**

| | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| | शेयरों की संख्या |
| रोकड़ से इतर विचाराधीन शेयर | - |
| बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयर | - |
| बाय बैक इक्विटी शेयर | - |
| **कुल** | **-** |

**इक्विटी शेयरों के संबद्धअधिकार:**

(क) मतदान

कंपनी के पास प्रति 10 रूपए के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी हैं। प्रत्येक शेयरधारक इक्विटी शेयर के लिए प्रति शेयर एक मत के लिए पात्र है।

(ख) दवालियापन

कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का धारक प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह संवितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इकिवटी शेयरों की संख्या के

**इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन**

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | |
|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | रूपए में |
| वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी बकाया | - | - |
| जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर | 6,000,000 | 60,000,000 |
| घटाःवर्ष के दौरान बायबैक | - | - |
| वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी बकाया | **6,000,000** | **60,000,000** |

**9 अन्य इक्विटी**

| विवरण | 31 मार्च 2019 |
|---|---|
| **(क) प्रतिधारण आमदनी** | |
| आरंभिक शेष | - |
| जमाः लाभा और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित | 499,031 |
| **समापन शेष** | **499,031** |
| **(ख) सामान्य आरक्षित निधि** | |
| **आरंभिक शेष** | - |
| **समापन शेष** | **-** |
| | |
| **सकल योग** | **499,031** |

**अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन**

**(क) प्रतिधारित आमदनियां**
प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती हैं।

**(ख) आरक्षित निधि**
आरक्षित निधि सांविधि आरक्षित राशियों को दर्शाती हैं, और यह निगमित काननू के अनुसार है जिसके अंतर्गत लाभ के एक भाग को सामान्य आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि का अंतरण कंपनी का विशेषाधिकार है।

## 10 वित्तीय देयताएं (चालू)

### 10.1 व्यापार प्राप्य

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट सं. 30) | - |
| (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम से इतर | |
| (i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता | 2,484,856 |
| (ii) संबंधित पक्ष - इरकॉन | 1,181,755 |
| **कुल** | **3,666,611** |

**वित्तीय देयताएं (चालू)**

## 10.2 अन्य वित्तीय देयताएं

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| देय उपदान | - |
| जमा राशियां, प्रतिधारित राशि और आहरित राशि | - |
| बैंक गारंटी संविदाएं | - |
| ग्राहकों से देय राशि | - |
| ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज | - |
| अन्य देय (स्टाफ देय सहित) | 31,000 |
| **कुल** | **31,000** |

## 11 अन्य चालू देयताएं

| विवरण | 31 मार्च 2019 को |
|---|---|
| **क) संविदागत देयताएं** | |
| ग्राहकों से अग्रिम | - |
| - घटा : प्रोटेस्ट के तहत जमा राशियां | - |
| अग्रिम संविदा प्राप्तियां | - |
| **ख) अन्य** | |
| सांविधिक देय | 46,491 |
| उचित मूल्य समायोजन | - |
| **कुल** | **46,491** |

## 11.1 चालू कर देयता निवल

| विवरण | फुटनोट | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|
| कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल) | | 337,967 |
| **चालू कर देयताएं निवल** | | **337,967** |

**चालू कर देयताएं निवल**

| विवरण | फुट नोट | 31 मार्च 2019 |
|---|---|---|
| **प्रदत्त करः** | | |
| चालू कर देयताएं | | 385,755 |
| घटा : प्रदत्त कर | | -47,788 |
| **कुल** | | **337,967.00** |

## 12 प्रचालनों से राजस्व

| विवरण | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु |
|---|---|
| संविदा राजस्व | 10,084,737 |
| - अन्य प्रचालनिक राजस्व | - |
| **कुल** | **10,084,737** |

## 13 अन्य आय

| विवरण | | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु |
|---|---|---|
| **ब्याज आय:** | | |
| स्टाफ अग्रिम पर ब्याज | | 4,128 |
| इरकॉन से अन्य अग्रिमों पर ब्याज | | 166,490 |
| वित्तीय माध्यमों के अनवांइंड पर ब्याज आय | | - |
| बैंक ब्याज सकल | 503,749 | |
| घटाः- ग्राहकों को अंतरित ब्याज | - | 503,749 |
| **अन्य:** | | |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | | - |
| विविध आय | | - |
| **कुल** | | **674,367** |

**14 (i) प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण**

| विवरण | फुट नोट | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु | |
|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | | - | |
| जमाः वर्ष के दौरान क्रय * | | - | |
| | | - | |
| घटाः समापन शेष | | - | - |
| **कुल** | | | **-** |

**14 (ii) डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी**

| विवरण | फुट नोट | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु | |
|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | | - | |
| जमाः वर्ष के दौरान क्रय * | | - | |
| | | - | |
| घटाः समापन शेष | | - | - |
| **कुल** | | | **-** |

**14 (iii) परियोजना एंव अन्य व्यय**

| | | परियोजना व्यय |
|---|---|---|
| **विवरण** | **फुट नोट** | **16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु** |
| कार्य व्यय | | 2,439,646 |
| अभिकल्प, आरेखण, व्यावसायिक विकास एवं परामर्श प्रभार | | - |
| किराया - गैर आवासीय | (i) | 239,189 |
| दर एवं कर | | 14,800 |
| वाहन प्रचालन एवं अनरक्षण | | 6,400 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | |
| -- भवन | | - |
| -- कार्यालय एवं अन्य | | - |
| | | - |
| ऊर्जा, बिजली एवं जल प्रभार | | |
| बीमा | | 377,346 |
| यात्रा एवं कन्वेयेंस | | - |
| मुद्रण एवं स्टेशनरी | | - |
| पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स | | - |
| विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार | | 99,575 |
| दान | | - |
| लेखापरीक्षक पारिश्रमिक | (ii) | 50,000 |
| विविध व्यय | | 27,280 |
| **कुल** | | **3,254,236** |

(i) इरकॉन को भुगतान किया गया किराया 2,39,189/- रूपए (मूल 2,02,702/- रूपए एवं जीएसटी 36,487/- रूपए)

(ii) **<u>सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान</u>**

| विवरण | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|
| (क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू | 25,000 |
| (ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष | 10,000 |
| (ग) तिमाही सीमित समीक्षा | 15,000 |
| (घ) प्रमाणन शुल्क | - |
| (ड.) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता | |
| - यात्रा व्यय | - |
| - आउट ऑफ पॉकेट भत्ता | - |
| **कुल** | **50,000** |

## 15 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

| विवरण | फुटनोट | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु |
|---|---|---|
| वेतन, परिश्रमिक और बोनस | (i) | 3,691,047 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान | | 269,098 |
| विदेशी सेवा अंशदान | | - |
| सेवानिवृत्ति लाभ | | 421,882 |
| वीआरएस व्यय | | - |
| कर्मचारी कल्याण | | - |
| कुल | | **4,382,027** |

**फ़ुटनोट:**
(i) गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर सहित **Rs. 560.**

## 16 वित्तीय लागत

| विवरण | फुटनोट | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु |
|---|---|---|
| बैंक गारंटी व अन्य प्रभार | | 1,414,674 |
| कुल | | **1,414,674** |

## 17 मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि

| विवरण | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेत |
|---|---|
| परिसंपत्ति , संयंत्र व उपकरण | 1,315 |
| अमर्त परिसंपत्तियां | - |
| निवेश परिसंपत्तियां | - |
| परिसंपत्तियों की हानि | - |
| **कुल** | **1,315** |

**नोट-18क. उचित मूल्य मापन**

(i) वित्तीय प्रलेखों का श्रेणीवार वर्गीकरण

परिसंपत्तियों और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणमें उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन हेतु समूहित किया जाता है। तीन स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नातनुसारण वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्धकिया जाता है:

- स्तर 1 कोट किया गया (समायोजित समरूपी परिसंपत्यिों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों मे बाजार मूल्य)
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्व्पूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यतक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 मूल्यांककन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्पूर्ण निम्न तम स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

**क) 31मार्च 2019 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय प्रलेखों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: ***

(रू.में.)

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
|---|---|---|---|---|
| लाभ व हानि के माध्यम से उचत मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां | | | | |
| म्यूयुवल फंड में निवेश | - | - | - | |
| कुल | - | - | - | |
| परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपतियां | - | - | - | |
| (i) निवशे | - | - | - | |
| सहयक कंपनियां और संयुक्त उपक्रम में निवेश** | | - | - | |
| कर मुक्त बांडों में निवेश (संचित ब्याज सहित) | - | - | - | |
| (ii) ऋण | 134 | - | - | |
| (iii) व्यापार प्राप्य | | - | - | |
| (iv) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य | 39,027 | - | - | |
| (v) अन्य बैंक शेष | | - | - | |
| (vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां *** | 10,338 | - | - | |
| कुल | **48,499** | - | - | |

(रू.में.)

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
|---|---|---|---|---|
| परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं | | | | |
| (i) ऋण | | - | - | - |
| (ii) व्यापार प्राप्य | 3,667 | - | - | - |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं*** | 31 | - | - | - |
| कुल | **3,688** | - | - | - |

ख. वितीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वितीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वितीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्यकंपनी के प्रचालन को वित्त प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वितीय संपतियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्तियां, और नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन के लिए प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी ने अपने वित्तीय जोखिमों को कम नहीं किया है। सभी जोखिम मुक्तख जोखिम।.

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं। लेन-देन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम - शून्य

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्यके अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ कर मुक्त बांड और जमा शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अलावा, कंपनी को ऋण / उधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर है।.

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्यवित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है।

व्यापार और अन्य प्राप्तियां

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश जिसमें ग्राहक संचालित होता है, के चूक जोखिम सहित, ऋण जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रुपए मे.)

| विवरण | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 की |
|---|---|
| वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटों का प्रयोग करके व्यवस्था का मापन किया गया है। | |
| गैर चालू निवेश | - |
| गैर चालू ऋण | 66 |
| अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | - |
| चालू निवेश | - |
| रोकड़ और रोकड़ समतुल्य | 39027 |
| अन्य बैंक शेष | - |
| चालू ऋण | 68 |
| अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 253 |
| वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके व्यवस्था का मापन किया गया है। | |
| व्यापार प्राप्य | |
| संविदा परिसंपत्तियां | |

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा मापित घाटा व्यवस्था में परिवर्तन का सार

| विवरण | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 की अव |
|---|---|
| आरंभिक व्यवस्था | - |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | - |
| वर्ष के दौरान उपयोग | - |
| बट्टाखाता राशि | - |
| समापन व्यवस्था | - |

वर्ष के दौरान कंपनीने घाटा व्यवस्था को स्वीकार किया है जो शून्य रूपए है (31 मार्च 2018 को शून्य रूपए)

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा परिदृश्य के प्रयोग द्वारा मापित घाटा व्यवस्था में परिवर्तन का सार

| विवरण | 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 की अव |
|---|---|
| आरंभिक व्यवस्था | - |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | - |
| वर्ष के दौरान उपयोग | - |
| बट्टाखाता राशि | - |
| (विनिमय लाभ) / हानि | - |
| समापन व्यवस्था | - |

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने हानि व्यवस्थाअ को मान्यता दी है, जो शून्य रूप है ।

ग) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वितीय  दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है, जहां तक संभव हो, कि देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त नकदी होगी।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीतियों का मुख्यम ध्याउन  पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का पूरा करने  पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति की देखरेख करता है और अपने निवेश उद्देश्योंको प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। मूल नुकसान हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्यके साथ, नीति में आम तौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।

एनएचएआई बांड एक निश्चित ब्याज दर रखते हैं, इस प्रकार वे बॉन्ड यील्ड दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपत्ति  होते हैं जिन्हें मासिक और फिर से निवेश किया जाता है।

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को महत्वपर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए में.)

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | | |
|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष | 2वर्ष से अधिक |
| ऋण | | | |
| व्यापार प्राप्य | 3667 | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 31 | - | - |

घ) अत्यधिक जोखिम संभाव्यता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में कार्यशील होते हैं, या समान आर्थिक विशेषताएं होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावि

जोखिम की अत्यधिक सांद्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान व

ग. पूंजी प्रबंधन

पनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और र

लाभांश:

(रूपए में.)

| विवरण | 31 मार्च 19 |
|---|---|
| प्रदत्त लाभांश | - |
| कुल | - |

ऋण इक्विटी अनुपात

(रूपए में)

| विवरण | 31 मार्च 19 |
|---|---|
| ऋण (नोट. 11.1) | - |
| दीर्घकालीन ऋण | - |
| इकिवटी (नोट. 9) | 60000 |
| अन्य इकिवटी (नोट. 10) | 499 |
| कुल इक्विटी | 80499 |
| ऋण इक्विटी अनुपात | - |

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**

**दिनांक 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु लेखों संबंधी नोट**

**19. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:**

(i) आकस्मिक देयता:

(क) कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए

**20. प्रतिबद्धता:**

(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल) शूनय रूपए।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं
अन्य प्रतिबद्धताओं पर खाते पर निष्पादित किए जानपे वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 1864 करोड़ रूपए है।

21. (क) ऋणदाताओं, अग्रिमों और देनदारों के अंतर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के सबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

22. (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय उच्चावचन - शून्य

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा प्रभाव का प्रकटन - शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन (संचित आधार पर) - शून्य

(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर) - शून्य

(ड.) आयातों का सीआईएफ मूल्य - शून्य

(च) सामग्री एवं एम्प; प्रयुक्त भंडारण - शून्य

**23. पट्टों संबंधी प्रकटन**

**I. प्रचालन पट्टों पर प्राप्त परिसंपत्तियां :**

कंपनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यलय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों के प्रचालनिक पट्टे के संबंध में है। अधिकतर पट्टा व्यवस्थाएं रद्द किए जाने योगय हैं और सामान्य रूप से इन्हें आपसी रूप से सहमत शर्तों पर नवीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है।

(क) कार्यालय परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान - 239 करोड़ रूपए (नोट (iii) पर परियोजना व्ययों एवं अन्य व्ययों में शामिल)।

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति : शून्य

**24. सेगमेंट रिर्पोटिंग**

(i) कंपनी केवल भारत में प्रचालन कर रही है जो एकल सेगमेंट है, अत: भौगोलिक रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

**25. संबंधित पक्ष प्रकटन : इंड एएस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष**

(क) उपक्रम जहां नियंत्रण विमान है -

(i) धारक कंपनी :

- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी यपूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामितियों के पास धारित है)|

**(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**

दिनांक 16 मई 2018 से इरकॉन से निदेशक :- श्री दीपक सबलोक, श्री अशोक कुमार गोयल, श्री आनन्द कुमार सिंह, श्री आर के यादव और सुश्री अनुपम बेन।

अन्य: श्री बी बी सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दिनांक 7 जून 2018 को कार्यभार ग्रहण), श्री राज कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दिनांक 10 अक्तूबर 2018 को कार्यभार ग्रहण) और रिचा महाजन, कंपनी सचिव (दिनांक 04 अप्रैल 2019 को कार्यभार ग्रहण)।

(iii) निदेशकों*/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के परिश्रमिक का ब्यौरा:-

| **क्र.सं.** | **विवरण** | **2018-19** |
|---|---|---|
| I | वेतन एवं भत्ते* | 3691 |
| II | भविष्य निधि, पेंशन में अंशदान | 269 |
| III | बैठक शुल्क | - |
| IV | अन्य भत्ते | 422 |
| | **कुल** | **4382** |

(iv) दिनांक 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार:

| **विवरण** | **संव्यवहार (रूपए हजार में)** | **बकाया राशि 31.03.2019 को (रूपए हजार में )** |
|---|---|---|
| इरकॉन वीकेईएल की इक्विटी में निवेश | 60,000 रु | 60,000 रु |
| उपर्युक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक (iii) | 4,382 रु | शून्य |
| इरकॉन को प्रारंभिक खर्च, वेतन और पारिश्रमिक, भविष्य निधि अंशदान, किराया, प्रदत्त टीडीएस, बीजी शुल्क, अन्य खर्चों और कर्मचारियों को अग्रिम आदि की | 5824 रु | 1,182 रु |

| | | |
|---|---|---|
| प्रतिपूर्ति | | |
| इरकॉन को उपलब्ध कराया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम और उस पर ब्याज | 7,666 रु | 7,650 रु |

**28. कर्मचारी लाभों पर इंड एएस - 19 के अंतर्गतग प्रकटन**

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है।

लेखांकन मानक -19 (सांशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों (नोट सं.2, बिंदु सं (xii) के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

29. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन *

**(क) राजस्व से असंयोजन**

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए हजार में)

| | **31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार** | **रेलवे** | **राजमार्ग** | **इलैक्ट्रिकल** | **भवन** | **अन्य** | **कुल** |
| निष्पादन दायित्व के संतोष का समय: | | | | | | |
| समयोपरि | - | 10,085 | - | - | - | 10,085 |
| समय बिंदु पर | - | - | - | - | - | - |
| कुल | **-** | 10,085 | **-** | **-** | **-** | 10,085 |
| **निष्पादन दायित्व के मापन की विधि** | | | | | | |
| इनपुट विधि | - | 10,085 | - | - | - | 10,085 |
| आउटपुट विधि | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल | - | 10,085 | - | - | - | 10,085 |
| भौगोलिक बाजार: | | | | | | |
| घरेलू | - | 10,085 | - | - | - | 10,085 |
| अंतरराष्ट्रीय | - | - | - | - | - | - |
| कुल | - | 10,085 | - | - | - | 10,085 |

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन:

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 1,085 हजार रूपए है।

(ग) कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए हजार में)

| **विवरण** | **31 मार्च 2019 को** |
|---|---|
| व्यापार प्राप्य | 15.14 |
| संविदा परिसंपत्तियां (नोट 6.1) | 0 |
| संविदा दायित्व | 0 |

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए हजार में)

| **विवरण** | **31 मार्च 2019 को** |
|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां | - |
| वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां | 10,085 |

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए हजार में)

| **विवरण** | **31 मार्च 2019 को** |
|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां | शून्य |
| वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां | शून्य |

**(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:**

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

(रूपए हजार में)

| **विवरण** | **31 मार्च 2019 को** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि | शून्य |
| ग्राहाकों से देय राशि | शून्य |

**(च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान**

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

| **विवरण** | **31 मार्च 2019 को** | **31 मार्च 2018 को** |
|---|---|---|
| दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि | 1864 | *लागू नहीं |

*इंड एएस-15 में अंतरण प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2018 को असंतुष्ट निष्पादन दायित्व आंशिक के अंतरण आवंटित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है।

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2019 को असंतुष्ट संदिवा के संव्यवहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:

(रूपए करोड़ में)

| | **31 मार्च, 2919**** |
|---|---|
| एक वर्ष या कम | 932 |
| एक वर्ष से दो वर्ष तक | 932 |
| दो वर्ष से अधिक | - |
| कुल | 1864 |

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमिति है।

30. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -**

**( रु )**

| **विवरण** | **दिनांक 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि हेतु** |
|---|---|
| (क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:<br><br>• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि | - |
| • उपर्युक्त पर ब्याज | - |
| (ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि। | - |
| (ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | - |
| (घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि; | - |
| (ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है। | - |

31. **जारी किए गए मानक किनतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रभावी नहीं**

दिनांक 30 मार्च 2019 को निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पट्टों संबंधी इंड एएस-116 दिनांक 01 अप्रैल 2019 को जारी होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू है।

32. कंपनी का निगमन 16 मई 2018 को हुआ था। प्रचालन का पहले वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के संमवर्ती आंकड़ों को प्रस्तुत करने संबंधी प्रकटनी की अपेक्षा लागू नहीं है।

**हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**
**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**

**कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएल**- 002249**एन**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ह/- | ह/- | ह/- | ह/- |
| राहुल गोयल | (दीपक सबलोक) | (अशोक कुमार गोयल) | (आनन्द कुमार सिंह) |
| सं.सं: 093114 | निदेशक | निदेशक | निदेशक |
| | डीआईएन: 03056457 | डीआईएन: 05308809 | डीआईएन: 07018776 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ह/- | ह/- | ह/- |
| स्थान : नई दिल्ली | (बी बी सिंह) | (राज कुमार) | (रिचा महाजन) |
| दिनांक: 02.05.2019 | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | मुख्य वित्त अधिकारी | कंपनी सचिव |

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

# 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.07.2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है औरयह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो में संज्ञान में आए और जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा के बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

**कृते एवं की ओर से**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

**(बी.आर.मंडल)**
**प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक**
**रेल वाणिज्य, नई दिल्ली**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 29.08.2019**